



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30

पटना, बुधवार,

1 श्रावण 1947 (श10)

23 जुलाई 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-50
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	51-52
पूरक	---
पूरक-क	53-57

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
16 जुलाई 2025

सं० 04/STA-(विविध)-01/2024---5866—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गोंको अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गोंके अतिरिक्त अनुसूची-क(i)के रूप में कुल 25 (पच्चीस) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित मार्गों में से 230 मार्गों में आंशिक संशोधन किया जाता है। साथ ही अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023 द्वारा पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अधिसूचित मार्ग संख्या-5362 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

अनुलग्नक-अनुसूची-‘क’-(i) एवं ‘क’-(ii)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

अनुसूची-‘क’-(i)							
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-							
क्र० सं०	मार्ग संख्या	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	2006	रजौली से पटना	फतेहपुर, सद्भावना चौक(नवादा), गिरीयक, बिहारशरीफ, चंडी, फतेहपुर	पटना से रजौली	फतेहपुर, चंडी, बिहारशरीफ, गिरीयक, सद्भावना चौक(नवादा), फतेहपुर		आर०टी०ए०, पटना
2	2007	कटिहार से किशनगंज	पूर्णियां, डगरुआ, बायसी, अमनौर, रौटा, बरबट्टा, कोचाधामन, महादेवदिग्धी, एल०आर०पी०	किशनगंज से कटिहार	एल०आर०पी०, महादेवदिग्धी, कोचाधामन, बरबट्टा, रौटा, अमनौर, बायसी, डगरुआ, पूर्णियां,	140	आर०टी०ए०, पूर्णियां
3	2008	बाराचट्टी से गया	सोभ, डोभी, दुमुहान	गया से बाराचट्टी	दुमुहान, डोभी, सोभ,	60	डी०टी०ओ०, गया
4	2009	सोभ से गया	डोभी, दुमुहान, 5 नं० गेट मिल्ट्री कैम्प	गया से सोभ	5 नं० गेट मिल्ट्री कैम्प, दुमुहान, डोभी,	50	डी०टी०ओ०, गया
5	2010	धनगाई से गया	शिवगंज, सोभ, डोभी दुमुहान	गया से धनगाई	दुमुहान, डोभी, सोभ, शिवगंज,	65	डी०टी०ओ०, गया
6	2011	भलूआ से गया	बाराचट्टी, सोभ, डोभी, दुमुहान	गया से भलूआ	दुमुहान, डोभी, सोभ, बाराचट्टी,	85	डी०टी०ओ०, गया

7	2012	जयगीर से गया	बाराचट्टी, सोम, डोभी, दुमुहान	गया से जयगीर	दुमुहान, डोभी, सोम, बाराचट्टी,	85	डी0टी0ओ0, गया
8	2013	बासविगहा से अगमकुआं	पमेडीमोड़, बेलदारीचक, बैरिया बस स्टैण्ड, पहाड़ीमोड़	अगमकुआं से बासविगहा	पहाड़ीमोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, बेलदारीचक, पमेडीमोड़,	38	डी0टी0ओ0, पटना
9	2014	बासविगहा से पटना रेलवे स्टेशन	पमेडीमोड़, बेलदारीचक, बैरिया बस स्टैण्ड, पहाड़ीमोड़, करविगहिया	पटना रेलवे स्टेशन से बासविगहा	करविगहिया, पहाड़ीमोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, बेलदारीचक, पमेडीमोड़,	45	डी0टी0ओ0, पटना
10	2015	मंडाछ से अगमकुआं	बासविगहा, पमेडीमोड़, बेलदारीचक, बैरिया बस स्टैण्ड, पहाड़ीमोड़	अगमकुआं से मंडाछ	पहाड़ीमोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, बेलदारीचक, पमेडीमोड़, बासविगहा,	45	डी0टी0ओ0, पटना
11	2016	मंडाछ से पटना रेलवे स्टेशन	बासविगहा, पमेडीमोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, पहाड़ीमोड़, करविगहिया	पटना रेलवे स्टेशन से मंडाछ	करविगहिया, पहाड़ीमोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, पमेडीमोड़, बासविगहा,	50	डी0टी0ओ0, पटना
12	2017	रघुनाथपुर बाजार से बेतिया	राजपुर कोठी चौक, कटहरी बाजार, मननपुर, बझिया, कोटवा, कचहरी चौक, मोतिहारी बस स्टैंड, छपवा	बेतिया से रघुनाथपुर बाजार	छपवा, मोतिहारी बस स्टैंड, कचहरी चौक, कोटवा, बझिया, मननपुर, कटहरी बाजार, राजपुर कोठी चौक,	98	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
13	2018	खोरा चौक से मुजफ्फरपुर इमली चट्टी	राजपुर कोठी चौक, कटहरी बाजार, मननपुर, बझिया, कोटवा, कचहरी चौक, मोतिहारी बस स्टैंड, चकिया, मेहसी, मोतिपुर, बैरिया बस स्टैण्ड	मुजफ्फरपुर इमली चट्टी से खोरा चौक	बैरिया बस स्टैण्ड, मोतिपुर, मेहसी, चकिया, मोतिहारी बस स्टैंड, कचहरी चौक, कोटवा, बझिया, मननपुर, कटहरी बाजार, राजपुर कोठी चौक	133	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
14	2019	रक्सौल ढाला से मोतिहारी	हरपुर, मटिअर्वा बोंडर, सेखवा टोला, आदापुर बाजार, श्यामपुर चौक, नरकटिया बाजार, लखौरा	मोतिहारी से रक्सौल ढाला	लखौरा, नरकटिया बाजार, श्यामपुर चौक, आदापुर बाजार, सेखवा टोला, मटिअर्वा बोंडर, हरपुर	55	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
15	2020	रक्सौल ढाला से मोतिहारी	मटिअर्वा बोंडर, कटगेनवा बोंडर, छौड़ादानों, नहर चौक, लखौरा	मोतिहारी से रक्सौल ढाला	लखौरा, नहर चौक, छौड़ादानों, कटगेनवा बोंडर, मटिअर्वा बोंडर	55	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
16	2021	सेमरा बाजार से इमलीचट्टी मुजफ्फरपुर	कल्याणपुर, चकिया, मेहसी, मोतिपुर, कांटी, बैरिया बस स्टैंड	इमलीचट्टी मुजफ्फरपुर से सेमरा बाजार	बैरिया बस स्टैंड, कांटी, मोतिपुर, मेहसी, चकिया, कल्याणपुर,	70	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
17	2022	मटिअर्वा बोर्डर से बेतिया	आदापुर, रक्सौल ढाला, नहर चौक, रामगढ़वा, सुगौली, छपवा	बेतिया से मटिअर्वा बोर्डर	छपवा, सुगौली, रामगढ़वा, नहर चौक, रक्सौल ढाला, आदापुर	65	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
18	2023	मटिअर्वा बोर्डर से मोतिहारी	आदापुर, रक्सौल ढाला, नहर चौक, रामगढ़वा, सुगौली, छपवा	मोतिहारी से मटिअर्वा बोर्डर	छपवा, सुगौली, रामगढ़वा, नहर चौक, रक्सौल ढाला, आदापुर	65	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर

19	2024	छौड़ादानों से बेतिया	आदापुर, रक्सौल ढाला, नहर चौक, रामगढ़वा, सुगौली, छपवा	बेतिया से छौड़ादानों	छपवा, सुगौली, रामगढ़वा, नहर चौक, रक्सौल ढाला, आदापुर	75	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
20	2025	कटगेनवा बोर्डर से साहेबगंज	छौड़ादानों, लखौरा, मोतिहारी बस स्टैंड, पिपराकोठी, कोटवा, खजुरिया, केशरिया	साहेबगंज से कटगेनवा बोर्डर	केशरिया, खजुरिया, कोटवा, पिपराकोठी, मोतिहारी बस स्टैंड, लखौरा, छौड़ादानों	75	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
21	2026	कटगेनवा बोर्डर से मोतिहारी कचहरी	छौड़ादानों, लखौरा, मोतिहारी बस स्टैंड	मोतिहारी कचहरी से कटगेनवा बोर्डर	मोतिहारी बस स्टैंड, लखौरा, छौड़ादानों	30	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
22	2027	नोनेया से बेतिया	पंडितपुर, यादोपुर, हरसिद्धि, मठलोहियार, गायघाट, कचहरी चौक, मोतिहारी बस स्टैंड, छपवा	बेतिया से नोनेया	छपवा, मोतिहारी बस स्टैंड, कचहरी चौक, गायघाट, मठलोहियार, हरसिद्धि, यादोपुर, पंडितपुर	90	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
23	2028	नोनेया से मुजफ्फरपुर	मनकररिया, कच्छेदवा, हरसिद्धि, अरेराज, गायघाट, मोतिहारी(कचहरी चौक), मोतिहारी बस स्टैंड, चकिया	मुजफ्फरपुर से नोनेया	चकिया, मोतिहारी बस स्टैंड, मोतिहारी(कचहरी चौक), गायघाट, अरेराज, हरसिद्धि, कच्छेदवा, नकररिया	125	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
24	2029	नोनेया से घोड़ासाहन	पंडितपुर, यादोपुर, हरसिद्धि, गायघाट, मोतिहारी बस स्टैंड, ढाका	घोड़ासाहन से नोनेया	ढाका, मोतिहारी बस स्टैंड, गायघाट, हरसिद्धि, यादोपुर, पंडितपुर	90	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर
25	2030	ताजपुर से पटना	डभैच, महुआ, रानीपोखर, हाजीपुर, गायघाट	पटना से ताजपुर	गायघाट, हाजीपुर, रानीपोखर, महुआ, डभैच,	72.5	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर

अनुसूची-क-(ii)

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्देशीय मार्गों में संशोधित मार्ग की सूची :-

क्र० सं०	मार्ग संख्या	पूर्व से अधिसूचित मार्ग का नाम	पूर्व से अधिसूचित मार्ग का भाया	संशोधित मार्ग का नाम	संशोधित मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	MPPY1517	कोकथा से गया	कोकथा, करियादपुर स्टैंड, गौरक्षनी बस स्टैंड से जिला मुख्यालय	कोकथा से गया	कोकथा, करियादपुर स्टैंड, अंरगा, तेतरिया, पांती, गिजोई, गाफा, हरली मोड़, खैरी, लोहड़ा, बन्धुआ, मझौली, भुसुण्डा, गौरक्षनी बस स्टैंड से जिला मुख्यालय		आर0टी0ए0, गया
2	MPPY909	थ्वहारशरीफ से संदलपुर	रहुई, निजॉय	संदलपुर से बिहारशरीफ	निजॉय, रहुई,	21 कि०मी०	डी0टी0ओ0, नालन्दा
3	MPPY1925		आजमनगर प्रखण्ड मुख्यालय से महानन्दा बांध होते हुए NH-81 के द्वारा केलाबाड़ी, लाभा, प्राणपुर होतु हुए जिला मुख्यालय तक।	आजमनगर से कटिहार	महानन्दा बांध, केलाबाड़ी, लाभा, प्राणपुर	55	आर0टी0ए0, पूर्णियां

4	MPPY1926		धूमनगर से लाभ होते हुए जिला मुख्यालय तक।	धूमनगर से कटिहार	लाभा	49	आर०टी०ए०, पूर्णियां
5	MPPY1927		चौंकी से कदवा प्रखण्ड मुख्यालय कुम्हड़ी, चांदपुर, हसनगंज होते हुए जिला मुख्यालय तक।	चौंकी से कटिहार	कदवा, कुम्हड़ी, चांदपुर, हसनगंज	42	आर०टी०ए०, पूर्णियां
6	MPPY1928		सोनैली से कदवा प्रखण्ड मुख्यालय, सपनी, हसनगंज, जिला मुख्यालय होते हुए भागलपुर तक।	सोनैली से भागलपुर	कदवा, सपनी, हसनगंज, कटिहार	145	आर०टी०ए०, पूर्णियां
7	MPPY1929		बारसोई से सालमारी, सोनैली होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बारसोई से कटिहार	सालमारी, सोनैली	62	आर०टी०ए०, पूर्णियां
8	MPPY1930		लहगरिया से प्रखण्ड मुख्यालय होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	लहगरिया से कटिहार	बारसोई	53	आर०टी०ए०, पूर्णियां
9	MPPY1931		आबादपुर से प्रखण्ड मुख्यालय होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	आबादपुर से कटिहार	बारसोई	90	आर०टी०ए०, पूर्णियां
10	MPPY1932		सुधानी से सालमारी, सोनैली होते हुए जिला मुख्यालय तक।	सुधानी से कटिहार	सालमारी, सोनैली	70	आर०टी०ए०, पूर्णियां
11	MPPY1933		हरनारोई से प्रखण्ड मुख्यालय होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	हरनारोई से कटिहार	बारसोई	65	आर०टी०ए०, पूर्णियां
12	MPPY1934		चापाखोर से प्रखण्ड मुख्यालय होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	चापाखोर से कटिहार	बारसोई	58	आर०टी०ए०, पूर्णियां
13	MPPY1935		बलरामपुर से बारसोई, झौआ, सालमारी, सोनैली होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	बलरामपुर से कटिहार	बारसोई, झौआ, सालमारी, सोनैली	90	आर०टी०ए०, पूर्णियां
14	MPPY1936		सिंहागांव, तेलता, पूर्णियां होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	सिंहागांव से कटिहार	तेलता, पूर्णियाँ	90	आर०टी०ए०, पूर्णियां
15	MPPY1937		मल्लिकपुर, किरोरा, बालूगंज, पूर्णियां होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	मल्लिकपुर से कटिहार	किरोरा, बालूगंज, पूर्णियाँ	85	आर०टी०ए०, पूर्णियां

16	MPPY1938		तेलता, बारसोई, झौआ, सालमारी, सोनैली होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	तेलता से कटिहार	बारसोई, झौआ, सालमारी, सोनैली	85	आर०टी०ए०, पूर्णियां
17	MPPY1939		अमदाबाद से मनिहारी, नवाबगंज, हफला, कटिहार होते हुए भागलपुर तक।	अमदाबाद से भागलपुर	मनिहारी, नवाबगंज, हफला, कटिहार	155	आर०टी०ए०, पूर्णियां
18	MPPY1940		चौकिया पहाड़पुर से मनिहारी, नवाबगंज, हफला होते हुए जिला मुख्यालय तक।	चौकिया पहाड़पुर से कटिहार	मनिहारी, नवाबगंज, हफला	65	आर०टी०ए०, पूर्णियां
19	MPPY1941		अमदाबाद से मनिहारी, नवाबगंज, हफला, कटिहार, रौतारा होते हुए पूर्णियां तक।	अमदाबाद से पूर्णियां	मनिहारी, नवाबगंज, हफला, कटिहार, रौतारा	100	आर०टी०ए०, पूर्णियां
20	MPPY1942		जंगलाटाल से रोशना बाजार, लाभ, बस्तौल होते हुए जिला मुख्यालय तक।	जंगलाटाल से कटिहार	रोशना बाजार, लाभ, बस्तौल	40	आर०टी०ए०, पूर्णियां
21	MPPY1943		दक्षिणी करिमुल्लापुर पंचायत से नवाबगंज, कुमारीपुर होते हुए जिला मुख्यालय तक।	दक्षिणी करिमुल्लापुर से कटिहार	नवाबगंज, कुमारीपुर	65	आर०टी०ए०, पूर्णियां
22	MPPY1944		अमदाबाद प्रखण्ड मुख्यालय से जिला मुख्यालय कटिहार तक।	अमदाबाद से कटिहार	प्रखण्ड मुख्यालय	60	आर०टी०ए०, पूर्णियां
23	MPPY1945		मनिहारी से नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	मनिहारी से भागलपुर	नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	120	आर०टी०ए०, पूर्णियां
24	MPPY1946		मनिहारी से नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी होते हुए पूर्णियां तक।	मनिहारी से पूर्णियां	नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	70	आर०टी०ए०, पूर्णियां
25	MPPY1947		मनिहारी प्रखण्ड मुख्यालय से नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	मनिहारी से कटिहार	नवाबगंज, कुमारीपुर, हफला	32	आर०टी०ए०, पूर्णियां

26	MPPY1948		मनसाही से हफला, कटिहार मुख्यालय, रौतारा होते हुए पूर्णियाँ तक।	मनसाही से पूर्णियाँ	हफला, कटिहार, रौतारा	47	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
27	MPPY1949		जयनगर चितौरिया मनसाही से हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए पूर्णियाँ तक।	जयनगर चितौरिया से पूर्णियाँ	मनसाही, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	61	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
28	MPPY1950		मनसाही से हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	मनसाही से भागलपुर	मनसाही से हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	105	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
29	MPPY1951		विशनपुर, मनसाही, हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	विशनपुर से भागलपुर	मनसाही, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	105	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
30	MPPY1952		बसंत मनसाही हाट से हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	बसंत मनसाही से भागलपुर	हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	110	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
31	MPPY1953		लहसा से मनसाही हाट, हफला, कटिहार मुख्यालय, गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	लहसा से भागलपुर	मनसाही, हफला, कटिहार, गेड़ाबाड़ी	115	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
32	MPPY1954		समेली, कुर्सेला, चांदपुर, पोठिया, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	समेली से कटिहार	कुर्सेला, चांदपुर, पोठिया, गेड़ाबाड़ी	75	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
33	MPPY1955		समेली, कुर्सेला, टीकापट्टी, पोठिया, डूमर, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	समेली से कटिहार	कुर्सेला, टीकापट्टी, पोठिया, डूमर, गेड़ाबाड़ी	85	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
34	MPPY1956		समेली, गेड़ाबाड़ी, जिला मुख्यालय कटिहार, रौतारा होते हुए पूर्णियाँ तक।	समेली से पूर्णियाँ	गेड़ाबाड़ी, कटिहार, रौतारा	80	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
35	MPPY1957		समेली, डूमर, बरारी, सेमापुर होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	समेली से कटिहार	डूमर, बरारी, सेमापुर	50	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
36	MPPY1958		प्रखण्ड मुख्यालय डंडखोरा से रायपुर चौक, बस्तौल होते हुए कटिहार मुख्यालय तक।	डंडखोरा से कटिहार	रायपुर, बस्तौल	60	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ

37	MPPY1959		पटहरा डंडखोरा से बिठौली मोड़, कटिहार मुख्यालय होते हुए पूर्णियां तक।	पटहरा डंडखोरा से पूर्णियां	बिठौली मोड़, कटिहार	65	आर०टी०ए०, पूर्णियां
38	MPPY1960		गोरफर डंडखोरा से जिला मुख्यालय कटिहार होते हुए मनिहारी तक।	गोरफर डंडखोरा से मनिहारी	कटिहार	50	आर०टी०ए०, पूर्णियां
39	MPPY1961		थाना चौक डंडखोरा से रतनपुरा, गरभैली होते हुए जिला मुख्यालय तक।	थाना चौक डंडखोरा से कटिहार	रतनपुरा, गरभैली	20	आर०टी०ए०, पूर्णियां
40	MPPY1962		भमरैली चौक से सौरिया चौक, सर्वाशा, चन्द्रमा चौक होते हुए जिला मुख्यालय तक।	भमरैली से कटिहार	सौरिया, सर्वाशा, चन्द्रमा चौक	25	आर०टी०ए०, पूर्णियां
41	MPPY1963		प्राणपुर बाजार कमल चौक, मदनसाही चौक, खिरदा टोला, सिरंडा, जौनियां, कुरसंडा, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	प्राणपुर से कटिहार	कमल चौक, मदनसाही चौक, खिरदा टोला, सिरंडा, जौनियां, कुरसंडा, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर	25	आर०टी०ए०, पूर्णियां
42	MPPY1964		पथरवार पंचायत के बैना चौक से धरहन, रहिका, फुटानी चौक, सतरामपुर, बुधेली, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	पथरवार बैना चौक से कटिहार	धरहन, रहिका, फुटानी चौक, सतरामपुर, बुधेली, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर	30	आर०टी०ए०, पूर्णियां
43	MPPY1965		ओरलाबाड़ी से काठघर, दतरंगा, हरसुआ, सिरंडा, जौनियां, कुरसंडा, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	आरलाबाड़ी से कटिहार	काठघर, दतरंगा, हरसुआ, सिरंडा, जौनियां, कुरसंडा, बस्तौल, कुसियारी, मरोचा, बुद्धनगर	35	आर०टी०ए०, पूर्णियां
44	MPPY1966		कास्तहावर, सहजा स्टेशन, रेलवे गुमटी चौक, इमली टोला, कुरेठा रेलवे स्टेशन, मनियां ब्रिज होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कास्तहावर से कटिहार	सहजा, रेलवे गुमटी चौक, इमली टोला, कुरेठा, मनियां ब्रिज	30	आर०टी०ए०, पूर्णियां

45	MPPY1967		रोशना बाजार से महादेवपुर, लाभ चौक, प्राणपुर स्टेशन रोड, प्राणपुर, बस्तौल होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	रोशना बाजार से कटिहार	महादेवपुर, लाभ चौक, प्राणपुर स्टेशन रोड, प्राणपुर, बस्तौल	40	आर0टी0ए0, पूर्णियां
46	MPPY1968		सतारे, केहुनियां, प्राणपुर रेलवे स्टेशन, बेलगच्छी चौक, कुचियाही चौक, प्राणपुर, बस्तौल, होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	सतारे से कटिहार	केहुनियां, प्राणपुर, बेलगच्छी, कुचियाही, प्राणपुर, बस्तौल	35	आर0टी0ए0, पूर्णियां
47	MPPY1969		प्रीत नगर, गौरीपुर रेलवे अंडरपास, महानन्दा ब्रीज, लाभ चौक, प्राणपुर स्टेशन रोड, प्राणपुर, बस्तौल, होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	प्रीतनगर से कटिहार	गौरीपुर रेलवे अंडरपास, महानन्दा ब्रीज, लाभ चौक, प्राणपुर स्टेशन रोड, प्राणपुर, बस्तौल	40	आर0टी0ए0, पूर्णियां
48	MPPY1970		गेड़ाबाड़ी से खेरिया होते हुए जिला मुख्यालय तक।	गेराबाड़ी से कटिहारी	खेरिया	25	आर0टी0ए0, पूर्णियां
49	MPPY1971		गेड़ाबाड़ी, कोढ़ा, खेरिया, जिला मुख्यालय कटिहार होते हुए पूर्णियां तक।	गेराबाड़ी से पूर्णियां	कोढ़ा, खेरिया	60	आर0टी0ए0, पूर्णियां
50	MPPY1972		कोढ़ा से कटिहार एवं कटिहार से गेड़ाबाड़ी होते हुए भागलपुर तक।	कोढ़ा से भागलपुर	कटिहार, गेराबाड़ी	115	आर0टी0ए0, पूर्णियां
51	MPPY1973		कोढ़ा से कटिहार एवं कटिहार से पूर्णियां होते हुए भागलपुर तक।	कोढ़ा से भागलपुर	कटिहार, पूर्णियां	140	आर0टी0ए0, पूर्णियां
52	MPPY1974		कोढ़ा से कटिहार एवं कटिहार से पूर्णियां होते हुए कोढ़ा तक।	कोढ़ा से पूर्णियां	कटिहार	60	आर0टी0ए0, पूर्णियां
53	MPPY1975		कोढ़ा से चैथरियापीर, विनोदपुर, दिघरी चौक, कोलासी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	कोढ़ा से कटिहार	चैथरियापीर, विनोदपुर, दिघरी चौक, कोलासी	35	आर0टी0ए0, पूर्णियां
54	MPPY1976		कोढ़ा से रामपुर, बिंजी, सेमापुर, कोलासी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	कोढ़ा से कटिहार	रामपुर, बिंजी, सेमापुर, कोलासी	35	आर0टी0ए0, पूर्णियां

55	MPPY1977		गेडाबाड़ी से खेरिया, दिघरी चौक, कोलासी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	गोराबाड़ी से कटिहार	खेरिया, दिघरी चौक, कोलासी	25	आर0टी0ए0, पूर्णियां
56	MPPY1978		लखनपुर, महमदिया, हसनगंज होते हुए जिला मुख्यालय तक।	लखनपुर से कटिहार	महमदिया, हसनगंज	20	आर0टी0ए0, पूर्णियां
57	MPPY1979		सपनी, फरही, मननपुर, हसनगंज, मोंगरा होते हुए जिला मुख्यालय तक।	सपनी से कटिहार	फरही, मननपुर, हसनगंज, मोंगरा	20	आर0टी0ए0, पूर्णियां
58	MPPY1980		पिपड़ा, हसनगंज होते हुए जिला मुख्यालय तक।	पिपड़ा से कटिहार	हसनगंज	25	आर0टी0ए0, पूर्णियां
59	MPPY1981		आजाद चौक खनवा, सपनी, फरही, मननपुर, हसनगंज होते हुए जिला मुख्यालय तक।	आजाद चौक खनवा से कटिहार	सपनी, फरही, मननपुर, हसनगंज	20	आर0टी0ए0, पूर्णियां
60	MPPY1982		हसनगंज से जिला मुख्यालय होते हुए रौतारा, बेलौरी, पूर्णियां तक।	हसनगंज से पूर्णियां	कटिहार, रौतारा, बेलौरी	50	आर0टी0ए0, पूर्णियां
61	MPPY1983		हसनगंज से रामपुर, भसना होते हुए जिला मुख्यालय तक।	हसनगंज से कटिहार	रामपुर, भसना	20	आर0टी0ए0, पूर्णियां
62	MPPY1984		कालसर से भर्मा, मननपुर, हसनगंज, मोंगरा होते हुए जिला मुख्यालय तक।	कालसर से कटिहार	भर्मा, मननपुर, हसनगंज, मोंगरा	25	आर0टी0ए0, पूर्णियां
63	MPPY1985		बरारी से कुर्सेला, गेडाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बरारी से कटिहार	कुर्सेला, गेराबाड़ी	70	आर0टी0ए0, पूर्णियां
64	MPPY1986		प्रखण्ड मुख्यालय बरारी से फुलवरिया चौक, गेडाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बरारी से कटिहार	फुलवरिया चौक, गेराबाड़ी	35	आर0टी0ए0, पूर्णियां
65	MPPY1987		कावर पंचायत से प्रखण्ड मुख्यालय बरारी, कोढ़ा होते हुए जिला मुख्यालय तक।	कावर से कटिहार	बरारी, कोढ़ा	40	आर0टी0ए0, पूर्णियां
66	MPPY1988		बरारी से सेमापुर, चरखी मोड़, खेरिया, कोलासी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बरारी से कटिहार	सेमापुर, चरखी मोड़, खेरिया, कोलासी	45	आर0टी0ए0, पूर्णियां

67	MPPY1989		बरारी से सेमापुर, सुखासन होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बरारी से कटिहार	सेमापुर, सुखासन	30	आर०टी०ए०, पूर्णियां
68	MPPY1990		काढ़ागोला घाट से प्रखण्ड मुख्यालय, स्टेशन रोड, फुलवरिया चौक, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	काढ़ागोला घाट से कटिहार	बरारी, स्टेशन रोड, फुलवरिया चौक, गेड़ाबाड़ी	40	आर०टी०ए०, पूर्णियां
69	MPPY1991		लक्ष्मीपुर पंचायत से बरारी प्रखण्ड मुख्यालय, सेमापुर, सुखासन होते हुए जिला मुख्यालय तक।	लक्ष्मीपुर से कटिहार	बरारी, सेमापुर, सुखासन	40	आर०टी०ए०, पूर्णियां
70	MPPY1992		फलका से निसुधरा चौक, भरसिया, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	फलका से कटिहार	निसुधरा चौक, भरसिया, गेड़ाबाड़ी	45	आर०टी०ए०, पूर्णियां
71	MPPY1993		पोठिया से फलका निसुधरा चौक, भरसिया, गेड़ाबाड़ी, खेरिया, कोलासी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	पोठिया से कटिहार	फलका निसुधरा चौक, भरसिया, गेड़ाबाड़ी, खेरिया, कोलासी	50	आर०टी०ए०, पूर्णियां
72	MPPY1994		बरेटा पंचायत से सोहथा प्रखण्ड मुख्यालय फलका, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बरेटा से कटिहार	सोहथा, फलका, गेड़ाबाड़ी	55	आर०टी०ए०, पूर्णियां
73	MPPY1995		सोहथा से प्रखण्ड मुख्यालय फलका, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	सोहथा से कटिहार	फलका, गेड़ाबाड़ी	55	आर०टी०ए०, पूर्णियां
74	MPPY1996		बड़कीबाड़ी, रहटा से बभनी, निसुधरा चौक, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	बड़कीबाड़ी से कटिहार	रहटा, बभनी, निसुधरा चौक, गेड़ाबाड़ी	40	आर०टी०ए०, पूर्णियां
75	MPPY1997		फलका से पोठिया, चांदपुर, कुर्सेला, डूमर, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक।	फलका से कटिहार	पोठिया, चांदपुर, कुर्सेला, डूमर, गेड़ाबाड़ी	70	आर०टी०ए०, पूर्णियां
76	MPPY1998		पोठिया से नरहैया, डूमर, गेड़ाबाड़ी, खेरिया, दिघड़ी चौक होते हुए जिला मुख्यालय तक।	पोठिया से कटिहार	नरहैया, डूमर, गेड़ाबाड़ी, खेरिया, दिघड़ी चौक	65	आर०टी०ए०, पूर्णियां

77	MPPY1999		कुर्सेला, चांदपुर, पोठिया, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कुर्सेला से कटिहार	चांदपुर, पोठिया, गेड़ाबाड़ी	65	आर0टी0ए0, पूर्णियां
78	MPPY2000		कुर्सेला, टीकापट्टी, पोठिया, डूमर, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कुर्सेला से कटिहार	टीकापट्टी, पोठिया, डूमर, गेड़ाबाड़ी	65	आर0टी0ए0, पूर्णियां
79	MPPY2001		कुर्सेला, समेली, गेड़ाबाड़ी, होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कुर्सेला से कटिहार	समेली, गेड़ाबाड़ी	55	आर0टी0ए0, पूर्णियां
80	MPPY2002		कुर्सेला, डूमर, बरारी, फलवरिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कुर्सेला से कटिहार	डूमर, बरारी, फलवरिया चौक	70	आर0टी0ए0, पूर्णियां
81	MPPY2003		कुर्सेला, समेली, डूमर, गेड़ाबाड़ी से जिला मुख्यालय कटिहार होते हुए पूर्णियां तक।	कुर्सेला से पूर्णियां	समेली, डूमर, गेड़ाबाड़ी, कटिहार	90	आर0टी0ए0, पूर्णियां
82	MPPY2004		कुर्सेला से फलका, पोठिया, गेड़ाबाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय कटिहार तक।	कुर्सेला से कटिहार	फलका, पोठिया, गेड़ाबाड़ी	65	आर0टी0ए0, पूर्णियां
83	MPPY2005		कुर्सेला, समेली, डूमर, गेड़ाबाड़ी से जिला मुख्यालय कटिहार होते हुए पूर्णियां से फलका होते हुए कुर्सेला तक।	कुर्सेला से गेड़ाबाड़ी	समेली, डूमर,	120	आर0टी0ए0, पूर्णियां
84	MPPY443		बभनगामा – गणेशपुर – रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बभनगामा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बभनगामा – गणेशपुर – रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	18	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
85	MPPY444		भगवानपुर – रेवासी – पकड़ी – कुसमारी चौक – रीगा (मिल चौक) – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	भगवानपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	भगवानपुर – रेवासी – पकड़ी – कुसमारी चौक – रीगा (मिल चौक) – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	26	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

86	MPPY445		सिंघोरवा – रामपुर – बराही – कुसमारी चौक – रीगा– मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सिंघोरवा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सिंघोरवा – रामपुर – बराही – कुसमारी चौक – रीगा– मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	23	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
87	MPPY446		डायन कोठी चौक – महादेव – मवदा गोला – सोनार बाजार – ब्लॉक चौक रीगा – चीनी मिल रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	डायन कोठी चौक से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	डायन कोठी चौक – महादेव – मवदा गोला – सोनार बाजार – ब्लॉक चौक रीगा – चीनी मिल रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
88	MPPY447		रीगा (मिल चौक) – रीगा (ब्लॉक चौक) – पिपरा – बगही धाम – रंजीतपुर – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रीगा(मिल चौक) से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रीगा (मिल चौक) – रीगा (ब्लॉक चौक) – पिपरा – बगही धाम – रंजीतपुर – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान चौक – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	18.डंल	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
89	MPPY448		चोटहीं – नरसामा – भगवानपुर – रेवासी – पकड़ी – कुसमारी चौक – रीगा (मिल चौक) – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	चोटहीं से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	चोटहीं – नरसामा – भगवानपुर – रेवासी – पकड़ी – कुसमारी चौक – रीगा (मिल चौक) – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
90	MPPY449		रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रीगा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रीगा – मनियारी चौक – खैरवा चौक – जानकी स्थान – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	10	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

91	MPPY450		कोरलहिया – कौआही – पितौझिया – कटौझा – रुन्नी – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	कोरलहिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	कोरलहिया – कौआही – पितौझिया – कटौझा – रुन्नी – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	42	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
92	MPPY451		महिन्दवारा – सिरखिड़िया – विशनपुर – कौआही – पिताझौया – कटौझा – रुन्नी – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	महिन्दवारा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	महिन्दवारा – सिरखिड़िया – विशनपुर – कौआही – पिताझौया – कटौझा – रुन्नी – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	55	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
93	MPPY452		महुवागाछी – चौपार – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	महुवागाछी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	महुवागाछी – चौपार – रुन्नीसैदपुर – कटरा मोड़ – गायघाट (हनुमान मंदिर) – थुम्मा चौक – गाढ़ा – अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) – लगमा– मुहँचटी – बाजीदपुर – मुरादपुर – सिमरा – विश्वनाथ पुर चौक – बड़ी बजार – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

94	MPPY453		ददरी — बहुरार — मानिक चौक — रुन्नीसैदपुर — गाढ़ा — प्रेमनगर — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	दादरी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	ददरी — बहुरार — मानिक चौक — रुन्नीसैदपुर — गाढ़ा — प्रेमनगर — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
95	MPPY454		रामनगर — बाराडीह — अथरी — रामपुर — रुन्नीसैदपुर — कटरा मोड़ — गायघाट (हनुमान मंदिर) — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रामनगर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रामनगर — बाराडीह — अथरी — रामपुर — रुन्नीसैदपुर — कटरा मोड़ — गायघाट (हनुमान मंदिर) — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर— मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
96	MPPY455		परतापुर — बेलाही — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परतापुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परतापुर — बेलाही — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	29	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
97	MPPY456		रुन्नीसैदपुर — कटरा मोड़ — गायघाट (हनुमान मंदिर) — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रुन्नीसैदपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रुन्नीसैदपुर — कटरा मोड़ — गायघाट (हनुमान मंदिर) — थुम्मा चौक — गाढ़ा — अम्बेडकर चौक (प्रेमनगर) — लगमा— मुहँचटी — बाजीदपुर — मुरादपुर — सिमरा — विश्वनाथ पुर चौक — बड़ी बजार — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	25	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

98	MPPY457		पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	पुपरी(बस स्टैंड) से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
99	MPPY458		बलहा रसुलपुर – हरिहरपुर – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बलहा रसुलपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बलहा रसुलपुर – हरिहरपुर – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
100	MPPY459		पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बेला चौक – रतवारा – बोहा चौक – गोसाईपुर – डुमरा लालू चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	पुपरी(बस स्टैंड) से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बेला चौक – रतवारा – बोहा चौक – गोसाईपुर – डुमरा लालू चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	34	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
101	MPPY460		बलहा रसुलपुर – सोपरगाढ़ा – मधुरापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बलहा रसुलपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बलहा रसुलपुर – सोपरगाढ़ा – मधुरापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	34	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
102	MPPY461		पिरौखर – सुजातपुर – बेहटा – भिन्ना – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	पिरौखर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	पिरौखर – सुजातपुर – बेहटा – भिन्ना – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	48	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
103	MPPY462		बगहा-धरमपुर – टेमुआ-हरिहरपुर – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बगहा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बगहा – धरमपुर – टेमुआ – हरिहरपुर – मधुबनी मोड़ – पुपरी (बस स्टैंड) – बिरोली – बछाड़पुर – आवापुर – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	48	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

104	MPPY463		बलहा — नारायाणपुर — हरिहरपुर — गंगटी — बरनछिया — हिरौली — बछाड़पुर — आवापुर — बाजपट्टी — भासर — काँटा चौक — डुमरा — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बलहा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बलहा — नारायाणपुर — हरिहरपुर — गंगटी — बरनछिया — हिरौली — बछाड़पुर — आवापुर — बाजपट्टी — भासर — काँटा चौक — डुमरा — गौशाला — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	47	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
105	MPPY464		बेलसंड — परतापुर — गिसारा — परमानंदपुर — परोरी — गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	बेलसंड से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	बेलसंड — परतापुर — गिसारा — परमानंदपुर — परोरी — गौशाला —बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
106	MPPY465		बेलसंड — परतापुर — बेलाही — गाढ़ा — प्रेमनगर — लगमा — डुमरा — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	बेलसंड से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	बेलसंड — परतापुर — बेलाही — गाढ़ा — प्रेमनगर — लगमा — डुमरा —बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	31	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
107	MPPY466		बेलसंड — भंडारी — कठौर — मदनपुर — पमरा — बखरी — पुनौरा — गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	बेलसंड से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	बेलसंड — भंडारी — कठौर — मदनपुर — पमरा — बखरी — पुनौरा —गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	29	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
108	MPPY467		पचनौर — बेलसंड — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा — गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	पचनौर से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	पचनौर — बेलसंड — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा —गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
109	MPPY468		मारर — मधकौल — बसौल — बेलसंड — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा — गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	मारर से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	मारर — मधकौल — बसौल — बेलसंड — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा —गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
110	MPPY469		जाफरपुर — सौली — बेलसंड कोठी — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा — गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	जाफरपुर से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	जाफरपुर — सौली — बेलसंड कोठी — पताही — परसौनी — पमरा — बखरी — पुनौरा —गौशाला — बस स्टैंड — सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

111	MPPY470		मौलानगर (इंडियन चौक) – चन्दौली – बेलसंड – पताही – परसौनी – पमरा – बखरी – पुनौरा – गौशाला – बस स्टैंड – सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	मौलानगर(इंडियन चौक) से सीतामढ़ी(रेलवे स्टेशन)	मौलानगर (इंडियन चौक) – चन्दौली – बेलसंड – पताही – परसौनी – पमरा – बखरी – पुनौरा – गौशाला – बस स्टैंड – सीतामढ़ी (रेलवे स्टेशन)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
112	MPPY471		रनौली – योगीबाना – भगवानपुर – कोआरी – धर्मपुर – कमलदह – रमनगरा – बसबरीया – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रनौली से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रनौली – योगीबाना – भगवानपुर – कोआरी – धर्मपुर – कमलदह – रमनगरा – बसबरीया – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	29	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
113	MPPY472		बथनाहा बाजार – बथनाहा प्रखंड मुख्यालय – दोस्तपुर – बरियारपुर – मोहनपुर – बाजार समिति – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बथनाहा बाजार से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बथनाहा बाजार – बथनाहा प्रखंड मुख्यालय – दोस्तपुर – बरियारपुर – मोहनपुर – बाजार समिति – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	16	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
114	MPPY473		शिवनगर – पुरणहिया – मईवी – कमलदह – रमनगरा – बरियारपुर – लालुचौक – डुमरा कोर्ट – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	शिवनगर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	शिवनगर – पुरणहिया – मईवी – कमलदह – रमनगरा – बरियारपुर – लालुचौक – डुमरा कोर्ट – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	32	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
115	MPPY474		बथनाहा प्रखंड मुख्यालय – पंथपाकर – परौल – कमलदह – रमनगरा गाँव – हरिहरपुर – मोहनपुर – बसबरीया – बाजार समिति – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बथनाहा प्रखंड मुख्यालय से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बथनाहा प्रखंड मुख्यालय – पंथपाकर – परौल – कमलदह – रमनगरा गाँव – हरिहरपुर – मोहनपुर – बसबरीया – बाजार समिति – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	29	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
116	MPPY475		मधुबनी गाँव – मधुबनी चौक – योगीबाना गाँव – भगवानपुर गाँव – गोबर्धनपुर गाँव – चाँदपुर गाँव – यमुनाबराही गाँव – कोआरी चौक – मझौलिया – विशनपुर – माधोपुर – बथनाहा गाँव – दोसपुर – टण्डसपुर – बरियारपुर – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	मधुबनी गाँव से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	मधुबनी गाँव – मधुबनी चौक – योगीबाना गाँव – भगवानपुर गाँव – गोबर्धनपुर गाँव – चाँदपुर गाँव – यमुनाबराही गाँव – कोआरी चौक – मझौलिया – विशनपुर – माधोपुर – बथनाहा गाँव – दोसपुर – टण्डसपुर – बरियारपुर – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	37	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

117	MPPY476		महुआबा – मोतनाजय – नरहा – बथनाहा – टण्डसपुर – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	महुआबा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	महुआबा – मोतनाजय – नरहा – बथनाहा – टण्डसपुर – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	20	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
118	MPPY477		परसौनी – धोधनी – बखरी – भोरहाँ – पुनौरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परसौनी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परसौनी – धोधनी – बखरी – भोरहाँ – पुनौरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	21	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
119	MPPY478		परसौनी – परशुरामपुर – भनवानपुर – कुसमारी – रीगा – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परसौनी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परसौनी – परशुरामपुर – भनवानपुर – कुसमारी – रीगा – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	29	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
120	MPPY479		परसौनी – धुरवार – बेनीपुर – पमरा – भोरहाँ – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परसौनी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परसौनी – धुरवार – बेनीपुर – पमरा – भोरहाँ –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	20	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
121	MPPY480		परसौनी – परशुरामपुर – भगवानपुर चौक – लक्ष्मीपुर – अन्हाड़ी मठ – भोरहाँ – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परसौनी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परसौनी – परशुरामपुर – भगवानपुर चौक – लक्ष्मीपुर – अन्हाड़ी मठ – भोरहाँ –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	20	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
122	MPPY481		बघाड़ी – सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बघाड़ी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बघाड़ी – सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
123	MPPY482		सहसराम – बराहीं – सुरसंड – अदलपुर – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सहसराम से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सहसराम – बराहीं – सुरसंड – अदलपुर – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	32	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
124	MPPY483		सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सुरसंड से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	25	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
125	MPPY484		जवाही – रधौर चौक – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	जवाही से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	जवाही – रधौर चौक – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	27	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

[illegible]

133	MPPY492		जोगिया – बसोतरा – चिकना – मेधपुर – नेतौना – दिवारी – यदुपट्टी – भिद्दामोड़ – सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	जोगिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	जोगिया – बसोतरा – चिकना – मेधपुर – नेतौना – दिवारी – यदुपट्टी – भिद्दामोड़ – सुरसंड – रधौर मोड़ – कुम्मा – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	52	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
134	MPPY493		हेरपुर – कोकन – चोरोत –झटियाही – बेहटा – पुपरी – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	हेरपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	हेरपुर – कोकन – चोरोत –झटियाही – बेहटा – पुपरी – बाजपट्टी – भासर – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	46	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
135	MPPY494		चोरोत – यदुपट्टी – भिद्दामोड़ – सुरसंड – रधौर मोड़ – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा – गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	चोरोत से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	चोरोत – यदुपट्टी – भिद्दामोड़ – सुरसंड – रधौर मोड़ – बथनाहा – काँटा चौक – डुमरा –गौशाला – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	47	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
136	MPPY495		कन्हौली – खोपराहा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	कन्हौली से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	कन्हौली – खोपराहा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	42	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
137	MPPY496		सहोरवा – दलगावा – इनरवा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सहोरवा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सहोरवा – दलगावा – इनरवा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	47	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
138	MPPY497		नरकटिया – रजवाड़ा – पुरनदाहा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	नरकटिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	नरकटिया – रजवाड़ा – पुरनदाहा – सोनबरसा – अररिया – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	44	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
139	MPPY498		मुजलिया बाजार – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	मुजलिया बाजार से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	मुजलिया बाजार – दोस्तिया – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
140	MPPY499		मुँहचट्टी – मरपा – कचोर – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	मुँहचट्टी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	मुँहचट्टी – मरपा – कचोर – भुतहीं – बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	32	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

141	MPPY500		लोकर बाजार — जानकी नगर — सिंघवाहिनी — भुतही — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	लोकर बाजार से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	लोकर बाजार — जानकी नगर — सिंघवाहिनी — भुतही — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	37	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
142	MPPY501		बेला — मछपकवनी — मनपौर — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बेला से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बेला — मछपकवनी — मनपौर — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
143	MPPY502		सिरसिया — दररवा — सहजौली — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सिरसिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सिरसिया — दररवा — सहजौली — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
144	MPPY503		विस्वा — विशनपुर — भगवतीपुर — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	विस्वा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	विस्वा — विशनपुर — भगवतीपुर — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	42	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
145	MPPY504		परिहार — सरदलपट्टी — लडुवारी — रघौर मोड़ — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	परिहार से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	परिहार — सरदलपट्टी — लडुवारी — रघौर मोड़ — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	34	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
146	MPPY505		सिसौटिया — धामिनटोल — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सिसौटिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सिसौटिया — धामिनटोल — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	36	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
147	MPPY506		लालबंदी — मुजेलिया — नरगाँ — जगदर — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	लालबंदी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	लालबंदी — मुजेलिया — नरगाँ — जगदर — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	45	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
148	MPPY507		विशनपुर — महादेवपट्टी — सुपौना — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	विशनपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	विशनपुर — महादेवपट्टी — सुपौना — परिहार — परवाहा — कुम्मा — बथनाहा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
149	MPPY508		अकता — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	अकता से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	अकता — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
150	MPPY509		डुमरी — मनियारी — सुप्पी — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	डुमरी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	डुमरी — मनियारी — सुप्पी — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	34	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

151	MPPY510		रमनगरा — सुपौ — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	रमनगरा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	रमनगरा — सुपौ — सोनौल — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
152	MPPY511		बसबिष्टा — डुमरीकला — मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बसबिष्टा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बसबिष्टा — डुमरीकला — मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
153	MPPY512		फेनहारा — कोआरी — मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	फेनहारा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	फेनहारा — कोआरी — मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	32	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
154	MPPY513		डिहृटी — सहियारा — डायनकोटी — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	डिहृटी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	डिहृटी — सहियारा — डायनकोटी — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
155	MPPY514		मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	मेजरगंज से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	मेजरगंज — मौदागोला — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	25	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
156	MPPY515		मेजरगंज — डिहृटी — सहियारा — छौड़हिया — पुरनहिया — बगहीमठ — रंजीतपुर — मनियारी — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	मेजरगंज से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	मेजरगंज — डिहृटी — सहियारा — छौड़हिया — पुरनहिया — बगहीमठ — रंजीतपुर — मनियारी — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	36	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
157	MPPY516		बैरगीनिया — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बैरगीनिया से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बैरगीनिया — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
158	MPPY517		बेलगंज — नंदवारा — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बेलगंज से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बेलगंज — नंदवारा — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	36	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
159	MPPY518		जमुवाहा — पताही — परसौनी — बैरगीनिया — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	जमुवाहा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	जमुवाहा — पताही — परसौनी — बैरगीनिया — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
160	MPPY519		ब्रह्मपुरी — नंदवारा — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	ब्रह्मपुरी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	ब्रह्मपुरी — नंदवारा — ढेंग — मनियारी — ससौला — नरहा — रीगा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	32	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

161	MPPY520		बोखरा — बनौल — — रामपुर — महुवागाछी — बेलाबिरार — बोहा चौक — डुमरा — सीतामढ़ी	बोखरा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बोखरा — बनौल — रामपुर — महुवागाछी — बेलाबिरार — बोहा चौक — डुमरा — सीतामढ़ी	38	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
162	MPPY521		बुधनगरा — भाउर — — बनौल — रामपुर — महुवागाछी — कोइली — लालपुर — माणिक चौक — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बुधनगरा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बुधनगरा — भाउर — — बनौल — रामपुर — महुवागाछी — कोइली — लालपुर — माणिक चौक — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
163	MPPY522		सिंधाचौरी — रामपुर — महुवागाछी — नानपुर — बहेरा — पुपरी — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	सिंधाचौरी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	सिंधाचौरी — रामपुर — महुवागाछी — नानपुर — बहेरा — पुपरी — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
164	MPPY523		ननपुर — कोइली — जानीपुर — भदियन — बोहा चौक — पकटोला — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	नानपुर से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	ननपुर — कोइली — जानीपुर — भदियन — बोहा चौक — पकटोला — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	27	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
165	MPPY524		महुवागाछी — नानपुर — कोइली — बहेरा — पुपरी — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	महुवागाछी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	महुवागाछी — नानपुर — कोइली — बहेरा — पुपरी — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	35	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
166	MPPY525		नयाटोल — नानपुर — जानीपुर — भदियन — बोहा चौक — पकटोला — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	नयाटोल से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	नयाटोल — नानपुर — जानीपुर — भदियन — बोहा चौक — पकटोला — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	30	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
167	MPPY526		धाधीसिरसी — महुवागाछी — लालपुर — माणिक चौक — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	धाधीसिरसी से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	धाधीसिरसी — महुवागाछी — लालपुर — माणिक चौक — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	36	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
168	MPPY527		बलासात — इस्लामपुर — चौपार — मेहसौल — कटरा मोड़ — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बलासात से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बलासात — इस्लामपुर — चौपार — मेहसौल — कटरा मोड़ — गाढ़ा — डुमरा — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	40	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
169	MPPY528		भीरवा — परदौरा — बिशनपुर — सिवाईपट्टी — सरवारा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	भीरवा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	भीरवा — परदौरा — बिशनपुर — सिवाईपट्टी — सरवारा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	27	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी

170	MPPY529		बनतारा — कंचनपुर — बाजिदपुर — बड़ी बाजार — रामपुर — महमदा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बनतारा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बनतारा — कंचनपुर — बाजिदपुर — बड़ी बाजार — रामपुर — महमदा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	25	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
171	MPPY530		बोहा — भासेपुर — मोरौल — बनगाँव — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बोहा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बोहा — भासेपुर — मोरौल — बनगाँव — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	23	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
172	MPPY531		बलहा — रसलपुर — कुरभहिया — सोनमनीदौल — मधरापुर — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	बलहा से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	बलहा — रसलपुर — कुरभहिया — सोनमनीदौल — मधरापुर — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	24	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
173	MPPY532		महुआइन बाजार — पथिराही — सिवाईपट्टी — सरवारा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	महुआइन बाजार से बस स्टैंड(सीतामढ़ी)	महुआइन बाजार — पथिराही — सिवाईपट्टी — सरवारा — बाजपट्टी — भासर — बस स्टैंड (सीतामढ़ी)	22	डी0टी0ओ0, सितामढ़ी
174	MPPY41	सिगोड़ से पटना	पालीगंज	सिगोड़ी से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, रामपुर, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	80 km	डी0टी0ओ0 पटना
175	MPPY42	बहादुरगंज टांडी से पटना	पालीगंज	बहादुरगंज टांडी से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	75 km	डी0टी0ओ0 पटना
176	MPPY43	अतौलह से पटना	पालीगंज	अतौलह से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	80 km	डी0टी0ओ0 पटना
177	MPPY44	अकबरपुर से पटना	पालीगंज	अकबरपुर से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	75 km	डी0टी0ओ0 पटना
178	MPPY45	सिकरिया से पटना	पालीगंज	सिकरिया से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, रामपुर, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	82 km	डी0टी0ओ0 पटना
179	MPPY46	दहिया से पटना	पालीगंज	दहिया से पटना	पालीगंज, दुल्हिन बाजार, रामपुर, नौवतपुर, फुलवारीशरीफ	82 km	डी0टी0ओ0 पटना
180	MPPY1266	टप्पू से अररिया,	टप्पू से अररिया	टप्पू से अररिया,	बहादुरगंज, जोकिहाट	58 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

181	MPPY1268	बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक	दुर्गापुर बनगामा से लौचा हाट 8 किलोमीटर लौच हाट से झिगाकांटा हाट 2 किलोमीटर झिगाकांटा हाट से कॉलेज चौक 5 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार 1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक किशनगंज 25 किलोमीटर	दुर्गापुर बनगामा से किशनगंज	लौचा हाट, झिगाकांटा हाट, कॉलेज चौक, बहादुरगंज, एल०आर०पी० चौक	41 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
182	MPPY1269	बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक	निशन्द्रा से लौचा हाट 10 किलोमीटर लौच हाट से झिगाकांटा हाट 2 किलोमीटर झिगाकांटा हाट से कॉलेज चौक 5 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार 1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से ल०आर०पी० चौक किशनगंज 1 किलोमीटर ल०आर०पी० चौक किशनगंज 25 किलोमीटर	निशन्द्रा से किशनगंज	लौचा हाट, झिगाकांटा, कॉलेज चौक बहादुरगंज, ल०आर०पी० चौक	44 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
183	MPPY1270	बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक	लौच हाट से झिगाकांटा हाट 2 किलोमीटर झिगाकांटा हाट से कॉलेज चौक 5 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार 1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से एल० आर०पी० चौक किशनगंज 25 किलोमीटर	लौचाहाट से किशनगंज	झिगाकांटा हाट, कॉलेज चौक, बहादुरगंज, एल०आर०पी० चौक	33 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
184	MPPY1271	बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक	महेशबथना से झिगाकांटा हाट 3 किलोमीटर झिगाकांटा हाट से कॉलेज चौक 5 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार 1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से एल०आर०पी० चौक 1 किलोमीटर एल०आर०पी० चौक किशनगंज 25 किलोमीटर।	महेशबथना से किशनगंज	झिगाकांटा, कॉलेज चौक, बहादुरगंज एल०आर०पी० चौक	35 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज

185	MPPY1272	एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	झिगाकांट हाट से कॉलेज चौक 5 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से एल0आर0पी0 चौक 1 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक किशनगंज 25 किलोमीटर	झिगाकांट से किशनगंज	कॉलेज चौक, बहादुरगंज, एल0आर0पी0 चौक	31 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
186	MPPY1273	बहादुरगंज बाजार से एल0आर0पी0 चौक	पालासमनी से कॉलेज चौक 2 किलोमीटर कॉलेज चौक से बहादुरगंज बाजार 5 बहादुरगंज से एल0आर0पी0 चौक 1 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक से किशनगंज 25 किलोमीटर	पालासमनी से किशनगंज	कॉलेज चौक, बहादुरगंज, एल0आर0पी0 चौक	33 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
187	MPPY1274	एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	डोहर से महादेवदिघी 4 किलोमीटर, महादेव दिघी से एल0आर0पी0 चौक 5 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक से किशनगंज 25 किलोमीटर।	डोहर से किशनगंज	महादेवदिघी, एल0आर0पी0 चौक	34 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
188	MPPY1275	एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	झिलझिली से रहमागंज चौक 3 किलोमीटर रहमागंज से एल0आर0पी0 चौक से किशनगंज 25 किलोमीटर।	झिलझिली से किशनगंज	रहमागंज, एल0आर0पी0 चौक	28 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
189	MPPY1276	जनता हाट	नटुआपाड़ा से जनता हाट 3 किलोमीटर मस्तान चौक 10 किलोमीटर किशनगंज 8 किलोमीटर	नटुआपाड़ा से किशनगंज	जनता हाट, मस्तान चौक	21 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
190	MPPY1277	बहादुरगंज बाजार से एल0आर0पी0 चौक	समेसर से जनता हाट 3 किलोमीटर समेसर हाट समेसर हाट से बहादुरगंज बाजार 5 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक 1 किलोमीटर किशनगंज 20 किलोमीटर।	समेसर से किशनगंज	जनता हाट, समेसर हाट, बहादुरगंज, एल0आर0पी0 चौक	29 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

191	MPPY1278	बहादुरगंज बाजार से	भाटाबाड़ी हाट से वॉसबाड़ी हाट 4 किलोमीटर वॉसबाड़ी हाट से कॉलेज चौक 3 किलोमीटर कॉलेज से बहादुरगंज बाजार 1 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से किशनगंज 25 किलोमीटर	भाटाबाड़ी हाट से किशनगंज	वॉसबाड़ी हाट, कॉलेज चौक, बहादुरगंज	33 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
192	MPPY1279	एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	गुआबाड़ी से लोहागाड़ा हाट 1 किलोमीटर लोहागाड़ा हाट से एल0आर0पी0 चौक 8 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक से किशनगंज 25 किलोमीटर	गुआबाड़ी से किशनगंज	लोहागाड़ा हाट, एल0आर0पी0 चौक	34 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
193	MPPY1280	बहादुरगंज बाजार से एल0आर0पी0 चौक	भौरादह से हाजी टोला चौक 6 किलोमीटर हाजी टोला से बहादुरगंज 4 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार से एल0आर0पी0 चौक 1 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक से किशनगंज 25 किलोमीटर	भौरादह से किशनगंज	हाजी टोला चौक, बहादुरगंज, एल0आर0पी0 चौक	36 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
194	MPPY1281	एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	चंदवार मिलिक से बहादुरगंज बाजार 6 किलोमीटर एल0आर0पी0 चौक 1 किलोमीटर किशनगंज 25 किलोमीटर	चंदवार मिलिक से किशनगंज	बहादुरगंज, एल0आर0पी0	32 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
195	MPPY1282	गांगी हाट , जनता हाट	अतलाबाड़ी से गांगी हाट 3 किलोमीटर गांगी हाट से जनता हाट 5 किलोमीटर जनता हाट से किशनगंज 15 किलोमीटर	अतलाबाड़ी से किशनगंज	गांगी हाट, जनता हाट	26 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
196	MPPY1283	लेलिया चौक से डेरामारी	मोहम्मदनगर से देशियाटोली चौक 5 किलोमीटर देशियाटोली से लेलिया चौक से डेरामारी 8 किलोमीटर डेरामारी से किशनगंज 8 किलोमीटर	मोहम्मदनगर से किशनगंज	देशियाटोली चौक, लेलिया चौक, डेरामारी	21 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

197	MPPY1284	लेलिया चौक से डेरामारी	चिकाबाड़ी से देशियाटोली चौक 6 किलोमीटर देशियाटोली से लेलिया चौक से डेरामारी 8 किलोमीटर डेरामारी से किशनगंज 8 किलोमीटर।	चिकाबाड़ी से किशनगंज	देशियाटोली चौक, लेलिया चौक, डेरामारी	25 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
198	MPPY1285	लेलिया चौक से डेरामारी	देशियाटोली से लेलिया चौक से डेरामारी 8 किलोमीटर से डेरामारी से किशनगंज 8 किलोमीटर।	देसिया टोली से किशनगंज	लेलिया चौक, डेरामारीस	20 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
199	MPPY1286	एल0आर0पी0चौक, बहादुरगंज बाजार	बनगामा से लोहागांड़ा हाट 8 किलोमीटर लोहागांड़ा हाट से बहादुरगंज बाजार 7 किलोमीटर एल0आर0पी0चौक से किशनगंज से किशनगंज 25 किलोमीटर	बनगामा से किशनगंज	लोहागांड़ा हाट, बहादुरगंज, एल0आर0पी0 चौक	40 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
200	MPPY1287	जनता हाट	गांगी हाट से जनता हाट 5 किलोमीटर जनता हाट से किशनगंज 15 किलोमीटर।	गांगीहाट से किशनगंज	जनता हाट	23 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
201	MPPY1288	लोचा से बहादुरगंज बाजार	टेढागाछ से झुनकी से मटियारी से डाकपोखर से लोचा से बहादुरगंज से किशनगंज।	टेढागाछ से किशनगंज	झुनकी, मटियारी, डाकपोखर, लोचा, बहादुरगंज	55 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
202	MPPY1289	लोचा से बहादुरगंज बाजार	झाला से फुलवरिया से टेढागाछ से झुनकी से मटियारी से डाकपोखर से लोचा से बहादुरगंज से किशनगंज।	झाला से किशनगंज	फुलवरिया, झुनकी, मटियारी, डाकपोखर, लोचा, बहादुरगंज	62 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
203	MPPY1290	पलासी से जोकिहाट	फतेहपुर से टेढागाछ से झाला से कलियागंज से पलासी से जोकिहाट से अररिया।	फतेहपुर से अररिया	टेढागाछ, झाला, कलियागंज, पलासी, जोकिहाट	58 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
204	MPPY1291	सिकटी से कुर्साकांटा	टेढागाछ से मोहमदीचौक से सिकटी से कुर्साकांटा से फारबिसगंज।	टेढागाछ से फारबिसगंज	मोहमदी चौक, सिकटी, कुर्साकांटा, फारबिसगंज।	62 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
205	MPPY1292	लोचा से बहादुरगंज	मटियारी से वेनुगढ़ से ठाठर से लोचा से बहादुरगंज से किशनगंज।	मटियारी से किशनगंज	वेनुगढ़, ठाठर, लोचा, बहादुरगंज	44 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

206	MPPY1293	बिशनपुर से महादेव दिघी से सोन्हा	सुहिया से रहमपुर से घाघर से लोचा से बिशनपुर से महादेव दिघी से सोन्हा से मस्तानचौक से किशनगंज	सुहिया से किशनगंज	रहमपुर, घाघर, लोचा, बिशनपुर, महादेव दिघी, सोन्हा, मस्तान चौक	45 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
207	MPPY1294	बांसबाड़ी से कुढैल से बहादुरगंज बाजार	बीबीगंज से पत्थरघट्टी से कुढैली से भाटाबाड़ी से बांसबाड़ी से कुढैल से बहादुरगंज से किशनगंज।	बीबीगंज से किशनगंज	पत्थरघट्टी, कुढैली, भाटाबाड़ी, बांसबाड़ी, कुढैल, बहादुरगंज	42 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
208	MPPY1295	भेलागौरी से पिपरा से झुनकी	बैरियाहाट से चिचौरा से भेलागौरी से पिपरा से झुनकी से मटियारी।	बैरियाहाट से मटियारी	चिचौरा, भेलागौरी, पिपरा, झुनकी	14 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
209	MPPY1296	वेणुगढ़ से ठाठर से लोचा से बहादुरगंज	डोरिया से कासलाटा से कुआरी से नयाहाट से खर्रा से वेणुगढ़ से ठाठर से लोचा से बहादुरगंज से किशनगंज।	डोरिया से किशनगंज	कासलाटा, कुआड़ी, नयाहाट, खर्रा, वेणुगढ़, ठाठड़, लौचा, बहादुरगंज	53 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
210	MPPY1297	ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक	भातगाँव गलगलिया से पिपरीथान से कुलीकोट से सियालडांगा से पेट्रोल पम्प चौक से ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	भातगाँव से किशनगंज	गलगलिया, पिपरीथान, कुलीकोट, सियालडांगा, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी	27 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
211	MPPY1298	ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक	सखुआडाली ननकार से धूलाबाड़ी से ठावागच्छ से नवहट्टा से भेदोमनी से गुआबाड़ी से छिलाबस्ती से मानिकपुर से ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	सखुआडाली से किशनगंज	धूलाबाड़ी, ठावागच्छ, नवहट्टा, भेदोमनी, गुआबाड़ी, छिलाबस्ती, मानिकपुर, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी	26 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
212	MPPY1299	पौआखाली बाजार से पवना चौक से ललिया चौक से डे मार्केट	बन्दरझूला कदूभिठा से जियापोखर से डुमरिया से पौआखाली चौक से पौआखाली बाजार से पवना चौक से ललिया चौक से डे मार्केट किशनगंज।	बन्दरझूला से किशनगंज	कदूभिठा, जियापोखर, डुमरिया, पौआखाली, पवनाचौक, ललिया चौक	40 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

213	MPPY1300	ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक	खारुदह से बरचौदी से ताराबाड़ी से चालाकी चौक से बुरनई हाट से रुईधासा से दोगच्छी हाट से हारोभिठा से भातढ़ाला से ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	खारुदह से किशनगंज	बरचौदी, ताराबाड़ी, चालाकी चौक, बुरनई हाट, रुईधासा दोगच्छी हाट, हारोभिठा, भातढ़ाला, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी चौक	44 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
214	MPPY1301	ठाकुरगंज से बस स्टैण्ड से महानंदा पुल	कुकुरबाघी से खोरीबाड़ी से गुवालडांगी चौक से बुटीझाड़ी से बादल चौक से पिपरी थान से कुलीकोट से सियालडांगा से पेट्रोल पम्प चौक से ठाकुरगंज से बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	कुकुरबाघी से किशनगंज	खोरीबाड़ी, गुवालडांगी, बुटीझाड़ी, बादल चौक, पिपरीथान, कुलीकोट, सयालडांगा, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी	32 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
215	MPPY1302	ठाकुरगंज से बस स्टैण्ड से महानंदा पुल	बरचौदी सरकार भवन से पाटाकारा से महेन्द्र चौक से बरचौदी मंगली हाट से नूरी चौक से भोगडाबर से पावर हाउस से जिलेबिया मोड़ से ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	बरचौदी से किशनगंज	पाटाकाड़ा, महेन्द्र चौक, बरचौदी, मंगली हाट, नूरी चौक, भोगडाबर, जिलेबिया मोड़, सयालडांगा, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी	33 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
216	MPPY1303	ठाकुरगंज से बस स्टैण्ड से महानंदा पुल	मालिनगाँव भट्टाचौक से कन्हैया जी से आमबाड़ी चौक से मोजिडांगा चौक से सालगुड़ी चौक से साबोडांगी चौक से नूरी चौक से पावर हाउस से जिलेबिया मोड़ से ठाकुरगंज बस स्टैण्ड से महानंदा पुल से चिचुआबाड़ी चौक से किशनगंज।	मालिनगाँव भट्टा चौक से किशनगंज	आमबाड़ी चौक, मोजिडांगा, सालगुड़ी, साबोडांगी, नूरी चौक, भोगडाबर, जिलेबिया मोड़, सयालडांगा, ठाकुरगंज, महानंदा पुल, चिचुआबाड़ी	42 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
217	MPPY1304	चिचुआबाड़ी से छतरगाछ से रायपुर	सोनापुर से तैयबपुर से चिचुआबाड़ी से छतरगाछ से रायपुर से किशनगंज।	सोनापुर से किशनगंज	तैयबपुर, चिचुआबाड़ी, छतरगाछ, रायपुर	50 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

218	MPPY1305	बल्दीया हाट से दामलबाड़ी हाट से बेलवा	गोरूखाल से मदरसा हाट से कुसियारी से नौकट्टा हाट से पोठिया चौक से बल्दीया हाट से दामलबाड़ी हाट से बेलवा से किशनगंज।	गोरूखाल से किशनगंज	मदरसा हाट, कसियारी, नौकट्टा, पोठिया, बल्दीया, दामलबाड़ी, बेलवा	55 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
219	MPPY1306	पनासी हाट से रतुआ हाट से दामलबाड़ी	पोठिया चौक से बल्दीया हाट से पनासी हाट से रतुआ हाट से दामलबाड़ी से किशनगंज।	पोठिया से किशनगंज	बल्दीया, पनासी हाट, रतुआ हाट, दामलबाड़ी	45 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
220	MPPY1307	बल्दीया हाट से नया पुल (छतरगाछ) से रायपुर	पनासी हाट से रतुआ हाट से बल्दीया हाट से नया पुल (छतरगाछ) से रायपुर से किशनगंज।	पनासी हाट से किशनगंज	रतुआ हाट, बल्दीया हाट, नया पुल (छतरगाछ), रायपुर	45 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
221	MPPY1308	हल्दीबाड़ी छतरगाछ	दलुआ हाट से चिचुआबाड़ी से हल्दीबाड़ी छतरगाछ से किशनगंज।	दलुआ हाट से किशनगंज	चिचुआबाड़ी, हल्दीबाड़ी, छतरगाछ	50 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
222	MPPY1309	गुआबाड़ी (बुधरा पुल) से छतरगाछ	बल्दीयाहाट से गुआबाड़ी (बुधरा पुल) से छतरगाछ से किशनगंज।	बल्दीयाहाट से किशनगंज	गुआबाड़ी, छतरगाछ	40 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
223	MPPY1310	चिचुआबाड़ी से हल्दीयाबाड़ी से बक्सा से छतरगाछ	जालु चौक से बुधरा से सारोगोड़ा से चिचुआबाड़ी से हल्दीयाबाड़ी से बक्सा से छतरगाछ से किशनगंज।	जालुचौक से किशनगंज	बुधरा, सारोगोड़ा, चिचुआबाड़ी, हल्दीयाबाड़ी, बक्सा, छतरगाछ	54 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
224	MPPY1311	रतुआ हाट से दामलबाड़ी हाट	उदगड़ा से शितलपुर से पनासी से रतुआ हाट से दामलबाड़ी हाट से किशनगंज।	उदगड़ा से किशनगंज	शितलपुर, पनासी, रतुआहाट, दामलबाड़ी	40 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
225	MPPY1312	बरबट्टा, रौटा	प्रखंड कोचाधामन से टेना होते हुए धनपतगंज पेट्रोल पम्प बरबट्टा, रौटा, बैसी होते हुए पूर्णियां	कोचाधामन से पूर्णियां	टेना, धनपतगंज, बरबट्टा, रौटा, बायसी	80 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज
226	MPPY1313	बरबट्टा, मौधो, अलता, रहमतपाड़ा	प्रखंड कोचाधामन से टेना होते हुए धनपतगंज पेट्रोल पम्प बरबट्टा, मौधो, अलता, कमलपुर, रहमतपाड़ा, मस्तान चौक होतु हुए किशनगंज	कोचाधामन से किशनगंज	टेना, धनपतगंज, बरबट्टा, मौधो, अलता, रहमतपाड़ा	50 कि.मी.	डी0टी0ओ0, किशनगंज

227	MPPY1314	एल०आर०पी० चौक, लोहागाड़ा, पौआखाली, ठाकुरगंज	प्रखंड कोचाधामन से सोन्था, महादेवदिधि, एल०आर०पी० चौक, लोहागाड़ा, पौआखाली, ठाकुरगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी	कोचाधामन से ठाकुरगंज	सोन्था, महादेवदिधि, एल०आर०पी० चौक, लोहागाड़ा, पौआखाली	130 कि. मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
228	MPPY1315	सोन्था, पुठीमारी चौक, सराय पावर हाउस, रहमतपाड़ा, मस्तान चौक	प्रखंड कोचाधामन से सोन्था, पुठीमारी चौक, सराय पावर हाउस, रहमतपाड़ा, मस्तान चौक होते हुए किशनगंज	कोचाधामन से किशनगंज	सोनथा, पुठीमारी चौक, सराय, रहमतपाड़ा, मस्तान चौक	35 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
229	MPPY1316	सोन्था, महादेवदिधि, एल०आर०पी० चौक, जनता कन्हैयाबाड़ी, डेरामारी	प्रखंड कोचाधामन से सोन्था, महादेवदिधि, एल०आर०पी० चौक, जनता कन्हैयाबाड़ी, डेरामारी, डे मोर्कट, मस्तान चौक होतु हुए किशनगंज	कोचाधामन से किशनगंज	सोनथा, महादेवदिधि, एल०आर०पी० चौक, जनता कन्हैयाबाड़ी, डेरामारी	45 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
230	MPPY1317	सोन्था, चौपड़ाबखाड़ी, चरघरिया, जोकी हाट, बैरघाछी	प्रखंड कोचाधामन से सोन्था, चौपड़ाबखाड़ी, चरघरिया, जोकी हाट, बैरघाछी होतु हुए अररिया जिरों माईल	कोचाधामन से अररिया	सोनथा, चौपड़ाबखाड़ी, चरघरिया, जोकी हाट, बैरघाछी	40 कि.मी.	डी०टी०ओ०, किशनगंज
अधिसूचना संख्या-376 दिनांक-20.01.2023 में निम्नवत् सुधार किया जाता है।							
क्र०सं०	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	5362	जहानाबाद से बिहारशरीफ	बंधुगंज, एकंगरसराय	बिहारशरीफ से जहानाबाद	परवलपुर, एकंगरसराय, बंधुगंज		आर.टी.ए. पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई 2025

सं० FW-1725/15/2025-SEC_9-3849—आधार (वित्तीय और सहायिकी लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा-4 की उपधारा (4) की कंडिका-ख की उप कंडिका-ii के तहत सह पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-05 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अन्तर्गत बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर चिन्हित करने तथा निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन करने वाले इच्छुक पक्षकारों को चिन्हित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरान्त बिहार सरकार द्वारा विभाग को भी अधिकृत किया गया है। उक्त के आलोक में क्रमशः अधिसूचना संख्या-394, दिनांक-13.01.2023 एवं 2378, दिनांक-09.05.2023 निर्गत है।

अतः विभाग द्वारा आधार से संबंधित प्रमाणीकरण डाटा को संभालने वाले सभी सम्बद्ध एजेंसियों की पृष्ठ भूमि की जाँच एवं उनके कार्यों के संचालन हेतु सभी संबंधित बिन्दुओं यथा मानव संसाधन, परिसम्पत्ति प्रबंधन, पासवर्ड नीति, संचार सुरक्षा, व्यक्तिगत आँकड़ा संग्रहण आदि को ध्यान में रखते हुए विभागीय सूचना सुरक्षा नीति, 2025-26 (नीति की प्रति संलग्न) को अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

Prohibition, Excise and Registration Department

Govt. of Bihar



Information Security Policy

2025-26

Version 1.0

Scope

This is with reference to the Aadhaar Authentication Services of Unique Identification Authority of India (UIDAI) for the stakeholders of Prohibition, Excise and Registration Department (PERD), Registration Management System (hereinafter referred to as “PERD” or “Sub AUA”).

This document outlines the Information Security Policy and standards applicable to PERD and its stakeholders in their role as a Sub-Aadhaar Authentication User Agency (Sub-AUA).

Document distribution

All Employees of PERD including Registered Workers, PERD Stakeholders and third parties who access information through PERD information system or handle any information Asset of PERD related to Aadhaar.

DOCUMENT CONTROL

Title	Information Security Policy	Version No	1.0
Created by	Shri Sunil Kumar, IT Manager	Date	27-06-2025
Reviewed by	Shri Sushil Kumar Suman, DIG (Reg.) Smt. Renu Kumari Sinha, Dy. Comm. Excise)	Date	30-06-2025
Approved by	Shri Ajay Yadav, Secretary	Date	01-07-2025

VERSION CONTROL

Version	Effective From	Type of Change	Approved By
1.0	09-07-2025	First Version	Shri Ajay Yadav, Secretary

Aadhaar Information Security Policy

Contents

TERMS & DEFINITIONS	3
1. ABOUT THE POLICY	5
1.1 POLICY STATEMENT.....	5
1.2 POLICY SCOPE	5
2 INFORMATION SECURITY DOMAINS AND RELATED CONTROLS	6
2.1 HUMAN RESOURCES	6
2.2 ASSET MANAGEMENT.....	6
2.3 ACCESS CONTROL	6
2.4 PASSWORD POLICY	7
2.5 CRYPTOGRAPHY	8
2.6 OPERATIONS SECURITY	8
2.7 COMMUNICATIONS SECURITY	9
2.8 INFORMATION SECURITY INCIDENT MANAGEMENT	10
2.9 PERSONAL DATA COLLECTION.....	11
2.10 SPECIFIC PURPOSE FOR COLLECTION OF PERSONAL DATA	11
2.11 OBTAINING CONSENT.....	11
2.12 PERSONAL DATA PROTECTION	12
2.13 SHARING OF PERSONAL DATA	12
2.14 RETENTION OF PERSONAL DATA	12
2.15 DATA BACKUP POLICY.....	12
2.16 DATA PRIVACY ON AADHAAR AND BIOMETRIC DETAILS.....	13
3 THIRD PARTY ACCESS AND OUTSOURCING	13
4 RISK ASSESSMENT AND SECURITY AUDITING REQUIREMENTS.....	14
5 CHANGE MANAGEMENT	15

Terms & Definitions

S. No.	Terms	Definition
1	AAS	AADHAAR Authentication Server
2	API	Application Program Interface
3	AUA/ASA	Authentication User Agency/Authentication Service Agency
4	Sub-AUA	Sub Authentication User Agency
5	CA	Certifying Authority
6	CIDR	Central Identities Data Repository
7	CN	Common Name

8	Asset	An asset is anything that has value to the organization. Assets can be classified into the following 5 categories: 1. Paper assets: (Legal documentation, manuals, policies & procedures, organizational documents etc.) 2. Physical assets: (computer equipment, communications, utility equipment, buildings etc.) 3. Software assets: (database information, applications, software code, development tools, operational software etc.) 4. People assets: UIDAI human resources and stakeholders. 5. Service assets: (Logistics, building management systems, communications, utilities etc.)
9	Information/ Information Asset (IA)	Information that has value to the organization (UIDAI). Including but not limited to Citizen biometric and demographic information, Personally identifiable information, employee information, organization information such as CIDR details etc.
10	IT	Information Technology
11	KUA	Know your customer User Agency
12	NDA	Non-Disclosure Agreement
13	NTP	Network Time Protocol
14	OTP	One Time Password
15	PID	Personal Identity Data
16	SOP	Standard Operating Procedures
17	SPOC	Single Point of Contact
18	SSL	Secure Sockets Layer
19	STQC	Standard Testing and Quality Control
20	VA	Vulnerability Assessment
21	VPN	Virtual Private Network
22	PERD	Prohibition, Excise and Registration Department

Aadhaar Information Security Policy

1. About the Policy**1.1 Policy Statement**

Security of UIDAI Information Assets handled by the PERD for providing services is of paramount importance. PERD and its stakeholders shall ensure the confidentiality, integrity, and availability of these at all times by deploying suitable controls commensurate with the asset value and in accordance with applicable rules.

1.2 Policy Scope

This Aadhaar Information Security Policy is applicable wherever UIDAI information is processed and/or stored by all Stakeholders, PERD and its Sub-AUAs. The policy may be amended from time to time as per regulations of UIDAI.

2 Information Security Domains and related Controls**2.1 Human Resources**

1. PERD shall appoint a MPoC and TPoC for Aadhaar related activities and communication with UIDAI;
2. PERD shall conduct a background check or sign an agreement/NDA with all personnel/agency handling Aadhaar related authentication data. UIDAI or agency appointed by UIDAI may validate this information.
3. Induction as well as periodic functional and information security trainings shall be conducted for all PERD personnel for Aadhaar related authentication services. The training shall include all relevant security guidelines as per the UIDAI information security policy for Authentication, Aadhaar Act, 2016 and Aadhaar Regulations, 2016.
4. All employees and third party service providers accessing UIDAI Information Assets shall be made aware of UIDAI information security policy and controls.

2.2 Asset Management

5. All Assets used by the PERD (As defined in 1.1 above) for the purpose of delivering services to Registration employee using Aadhaar authentication services shall be identified labelled and classified. Details of the Information Assets shall be recorded.
6. The assets which are scheduled to be disposed shall be disposed as per PERD's Information Security Policy;
7. Before sending any equipment out for repair, the equipment shall be sanitized to ensure that it does not contain any UIDAI sensitive data;
8. Sub-AUA shall not transfer or make an unauthorized copy of any identity information from removable media to any personal device or other unauthorized electronic media / storage devices.
9. Sub-AUA shall implement controls to prevent and detect any loss, damage, theft or compromise of the assets.
10. Authentication devices used to capture residents' biometric shall be STQC certified as specified by UIDAI.

2.3 Access Control

1. Only authorized individuals shall be provided access to information facilities (such as Authentication application, audit logs, authentication servers, application, source code, information security infrastructure etc.) processing UIDAI information;
2. PERD employees and third party service providers with access to UIDAI information assets shall:

- a) Have least privilege access for information access and processing;
 - b) The operator must be logged out after the session is finished.
 - c) Implement an equipment locking mechanism for workstation, servers and/ or network device
3. The application should have auto log out feature i.e. after a certain time of inactivity (15 mins or as specified in the UIDAI Authentication Regulations document), the application should logout.
 4. Access rights and privileges to information processing facilities for UIDAI information shall be revoked within 24 hours separation of respective personnel or as mentioned in the exit management policy of the organization Post deactivation, user IDs shall be deleted if not in use as per Exit formalities.
 5. Access rights and privileges to information facilities processing UIDAI information shall be reviewed on a quarterly basis and the report shall be stored for audit purposes;
 6. Common user IDs / group user IDs shall not be used. Exceptions/ risk acceptance shall be approved and documented where there is no alternative;
 7. Procedures shall be put in place for secure storage and management of administrative passwords for critical information systems. If done manually, then a fireproof safe or similar password vault must be used to maintain the access log register.
 8. The users should not be provided with local admin access rights on their system. In the case of administrative access being provided, the users shall be prohibited from modifying the local security settings. Modifying the same shall result in disciplinary action.
 9. Three successive login failures or as per the access control policy/password policy of the organization should result in a user's account being locked; they should not be able to login until their account is unlocked and the password reset in case of server logins. The user should contact the System Engineers/Administrators for getting the account unlocked. For applications, there should be an automatic lock out period of 30 mins in case of three consecutive login failures or as per the access control policy/password policy of the organization.
 10. If the application is operator assisted, the operator shall first confirm his identity by authenticating himself before authenticating the residents.
 11. The access rules of firewalls shall be maintained only by users responsible for firewall administration.

2.4 Password Policy

1. The allocation of initial passwords shall be done in a secure manner and these passwords shall be changed at first login;
2. All User passwords (including administrator passwords) shall remain confidential and shall not be shared, posted, or otherwise divulged in any manner;
3. Keeping a paper record of passwords shall be avoided, unless this can be stored securely;
4. If the passwords are being stored in the database or any other form, they should be stored in encrypted form.
5. Passwords shall be changed whenever there is any indication of possible system or password compromise;

2.5 Cryptography

1. The Personal Identity data (PID) block comprising of the resident's demographic-/biometric data shall be encrypted as per the latest API documents specified by the UIDAI at the end point device used for authentication.
2. The PID shall be encrypted during transit and flow within the AUA ecosystem and while sharing this information with ASAs; Logs of the authentication transactions shall be maintained but PID Information shall not be retained.
3. The encrypted PID block should not be stored unless in case of buffered authentication for not more than 24 hours after which it should be deleted from the local systems;

2.6 Operations Security

1. PERD shall complete the AADHAAR Sub AUA on-boarding process before the commencement of formal operations;
2. Standard Operating Procedure (SOP) shall be developed for all information systems and services related to UIDAI operations. The SOP shall include the necessary activities to be carried out for the operation and maintenance of the system or service and the actions to be taken in the event of a failure;
3. Persons involved in operational/development/testing functions shall not be given additional responsibilities in system administration processes, audit log maintenance, security review of system or process and which may compromise data security requirements;
4. Where segregation of duties is not possible or practical, the process shall include compensating controls –such as monitoring of activities, maintenance and review of audit trails and management supervision;
5. The Test and Production facilities environments must be physically and/or logically separated.
6. The Operating System as well as the network services used for communication shall be updated with the latest security patches.
7. A formal Patch Management Procedure shall be established for applying patches to the information systems. Patches should be updated at both application and server level;
8. Periodic VA exercise should be conducted for maintaining the security of the authentication applications. Reports shall be generated and shared upon request with UIDAI.
9. PERD employees shall not intentionally write, generate, compile copy or attempt to introduce any computer code designed to damage or otherwise hinder the performance of, or access to, any PID information;
10. All hosts that connect to the AADHAAR Authentication Service information shall be secured using endpoint security solutions. At the minimum, anti-virus-malware detection software shall be installed on such hosts;
11. PERD / System Integrator (SI) shall ensure that the event logs are to be recorded and stored to assist in future investigations and access control monitoring;
12. Regular monitoring of the audit logs shall take place for any possible unauthorized use of information systems and results shall be recorded. Access to audit trails and event logs shall be provided to authorized personnel only;

13. The authentication audit logs should contain, but not limited to, the following transactional details:
 - a) Aadhaar Number against which authentication is sought;
 - b) Specified parameters of authentication request submitted;
 - c) Specified parameters received as authentication response;
 - d) The record of disclosure of information to the Aadhaar number holder at the time of authentication
 - e) Record of the consent of Aadhaar number holder for the resident
 - f) Details of the authentication transaction such as API Name, AUA / KUA Code, Sub-AUA, Transaction Id, Timestamp, Response Code, Response Timestamp, and any other non-identity information.
14. Network intrusion and prevention systems should be in place;
15. Logs shall not, in any event, retain the PID, biometric and OTP information;
16. The logs of authentication transactions shall be maintained by PERD for a period of 2 years, during which an Aadhaar number holder shall have the right to access such logs, in accordance with the procedure as may be specified;
17. Upon expiry of the period of 2 years, the logs shall be archived for a period of 5 years or the number of years as required by the laws or regulations of Govt. of India, whichever is later, and upon expiry of the said period, the logs shall be deleted except those records required to be retained by court or for any pending disputes;
18. All computer clocks shall be set to an agreed standard using a NTP server or must be managed centrally and procedure shall be made to check for and correct any significant variation;
19. The Sub AUA server host shall reside in a segregated network segment that is isolated from the rest of the network of the PERD; The AUA server host shall be dedicated for the Online AADHAAR Authentication purposes and shall not be used for any other activities;

2.7 Communications security

1. In case of a composite terminal device that comprises of a biometric reader without embedded software to affect the encryption of the personal identity data, communication between the biometric reader and the device performing the encryption shall be secured against all security threats/attacks
2. Terminal devices shall provide different logins for operators. These users shall be authenticated using some additional authentication scheme such as passwords, AADHAAR authentication, etc.;
3. Each terminal shall have a unique terminal ID. This number must be transmitted with each transaction along with UIDAI assigned institution code for the AUA as specified by the latest UIDAI API documents
4. A Unique Transaction Number (unique for that terminal) shall be generated automatically by the terminal which should be incremented for each transaction processed;
5. The Sub AUA server shall be hosted behind a firewall. The firewall rules shall block incoming access requests to the AUA server from all sources;
6. Special consideration shall be given to Wireless networks due to poorly defined network perimeter. Appropriate authentication, encryption and user level network access control technologies shall be implemented to secure access to the network;

7. Use of web-based e-mail shall be restricted to official use and in accordance with the acceptable usage guidelines or as per organization policy;

2.8 Information Security Incident Management

1. PERD shall be responsible for reporting any security weaknesses, any incidents, possible misuse, or violation of any of the stipulated guidelines to UIDAI immediately.
2. PERD shall ensure that its employees, BCs and other sub-contractors are aware about Aadhaar Authentication related incident reporting.
3. Root Cause Analysis (RCA) shall be performed for major Aadhaar related incidents identified in its as well as its sub-contractors' ecosystem.
4. Any confidentiality breach/security breach of Aadhaar related information shall be reported to UIDAI within 24 hours.
5. From the effective date of sub-section (6) of section 8 of the DPDP Act, report any personal data breach to the Data Protection Board and notify each affected individual within the time specified by the Act's rules.
6. Contact Details for Reporting and Escalation:
Prohibition, excise and Registration Department, Govt. of Bihar
DIG, Registration
Email: excise-bih@nic.in
Phone: [+91 91100 36303](tel:+919110036303)
Address: First Floor, Vikas Bhawan Patna- 800015

2.9 Personal Data collection

1. PERD shall collect the personal data including Aadhaar number/Virtual ID, directly from the Aadhaar number holder for conducting authentication with UIDAI at the time of providing the services;

2.10 Specific purpose for collection of Personal data

1. The Identity information including Aadhaar number / Virtual ID shall be collected for the purpose of authentication of Aadhaar number holder to provide scheme Benefits.
2. The identity information collected and processed shall only be used pursuant to applicable law and as permitted under the Aadhaar Act 2016 or its Amendment and Regulations.
3. The identity information shall not be used beyond the mentioned purpose without consent from the Aadhaar number holder and even with consent use of such information for other purposes should be under the permissible purposes in compliance to the Aadhaar Act 2016.
4. Process shall be implemented to ensure that Identity information is not used beyond the purposes mentioned in the notice/consent form provided to the Aadhaar number holder.
5. Notice / Disclosure of Information to Aadhaar number holder
6. Aadhaar number holder shall be provided relevant information prior to collection of identity information / personal data. These shall include:
 - i) The purpose for which personal data / identity information is being collected;
 - ii) The information that shall be returned by UIDAI upon authentication;
 - iii) The information that the submission of Aadhaar number or the proof of Aadhaar is mandatory or voluntary for the specified purpose and if mandatory the legal

provision mandating it;

- iv) The alternatives to submission of identity information (if applicable);
- v) Details of Section 7 notification (if applicable) by the respective department under the Aadhaar Act, 2016, which makes submission of Aadhaar number as a mandatory or necessary condition to receive subsidy, benefit or services where the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of State. Alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service may be provided if an Aadhaar number is not assigned to an individual;
- vi) The information that Virtual ID can be used in lieu of Aadhaar number at the time of Authentication;
- vii) Aadhaar number holder shall be notified of the authentication either through the e-mail or phone or SMS at the time of authentication and the PERD shall maintain logs of the same;

2.11 Obtaining Consent

1. Upon notice / disclosure of information to the Aadhaar number holder, consent shall be taken in writing or in electronic form on the website or mobile application or other appropriate means and PERD shall maintain logs of disclosure of information and Aadhaar number holder's consent.
2. Legal department shall be involved in vetting the method of taking consent and logging of the same, and formal approval shall be recorded from the legal department;

2.12 Personal Data Protection

1. Aadhaar authentication or Aadhaar e-KYC shall be used for the specific purposes declared to UIDAI and permitted by UIDAI. Such specific purposes shall be notified to the residents / customers / Individuals at the time of authentication through disclosure of information notice;
2. PERD shall not use the Identity information including Aadhaar number or e-KYC for any other purposes than allowed under Aadhaar Act 2016 and it's associated Regulation and informed to the resident / customers / individuals at the time of Authentication.
3. For the purpose of e-KYC, the demographic details of the individual received from UIDAI as a response shall be used for identification of the individual for the specific purposes of providing the specific services for the duration of the services.
4. Data Protection related aspects under the Aadhaar Act, the regulation made thereunder and the standards and specifications issued by UIDAI and other regulatory authorities from time to time shall be adhered.

2.13 Sharing of Personal data

1. Identity information shall not be shared in contravention to the Aadhaar Act 2016, its Amendment, Regulations and other circulars released by UIDAI from time to time.
2. Biometric information collected shall not be transmitted over any network without creation of encrypted PID block as per Aadhaar Act and regulations;

2.14 Retention of Personal Data

The authentication transaction logs shall be stored for a period of two years subsequent to which the logs shall be archived for a period of five years or as per the

regulations governing the entity, whichever is later and upon expiry of which period, barring the authentication transaction logs required to be maintained by a court order or pending dispute, the authentication transaction logs shall be deleted.

2.15 Data Backup Policy

- a) Back-up procedures should be documented, scheduled and monitored.
- b) Up-to-date backups of all critical items should be maintained to ensure the continued provision of the minimum essential level of service. These items include:
 - Data files
 - Utilities programs
 - Databases
 - Operating system software
 - Applications system software
 - Encryption keys
 - Pre-printed forms
 - Device configurations
- c) One set of the original disks for all operating system and application software must be maintained to ensure that a valid, virus-free backup exists and is available for use at any time.
- d) Backups of the system, application and data should be performed on a regular basis as per the DR and BCP policy of the Bihar State Data Centre.

2.16 Data Privacy on Aadhaar and Biometric details

1. The submission of Aadhaar details by a construction worker to the PERD is voluntary and the PERD shall not insist on a worker to produce their Aadhaar details for availing any of the services. In cases where Aadhaar number is offered voluntarily by the customer to the PERD, the department shall seek a declaration by the customer towards the same.
2. For cases where e-KYC verification is required, the PERD shall get an explicit consent from the worker for download of resident demographic details from UIDAI mentioning the purpose for which the details are sought.
3. The consent shall be either in the form of an authorization letter or a provision to electronically record the consent in a software application.
4. The biometric details whenever captured by the PERD shall be used only for data exchange with UIDAI which validates the captured biometric data against the biometric data maintained in CIDR (Central Identities Data Repository) against the specific Aadhaar number.
5. PERD shall use STQC certified devices for demographic details received from UIDAI will be stored for future reference, the biometric details shall not be stored by the PERD in any manner and form.
6. A system log wherever required shall be maintained to extract the details in case of disputes. The logs should capture Aadhaar Number, timestamp etc., but will not capture/store the PID (Personal Identity Data) associated with the transaction.
7. The data so captured will be sent to UIDAI as a straight through process. PERD shall not store the data captured (both biometric and personal information) in any manner and form.

3. Third party access and Outsourcing

- 3.1 PERD shall ensure that third party access to information should be restricted and should only be shared after signing Non-Disclosure-Agreement.
- 3.2 Wherever any activity is outsourced or awarded as work contract to any 3rd party / vendor, it shall be ensured that the contract specifies the information security requirements, and the same are complied with, in addition to the regular contractual details.
- 3.3 The following information security requirements should be documented as part of the contract:
- i. General policy on information security.
 - ii. Procedures to protect organisational assets.
 - iii. Restrictions on copying / disclosure.
 - iv. Controls to ensure return of information/assets in their possession at the end of the contract.
 - v. The right to monitor and the right to terminate services in the event of a security incident or a security breach.
 - vi. Right to audit contractual responsibilities or to have the audits carried out by third parties.
 - vii. Arrangements for reporting, notification and investigation of security incidents and breaches.
- 3.4 Information security audit report of the vendor to be made available to Procuring entity on periodic basis or when required.
- 3.5 Detailed list of all components of the software (including open source) / solution in the form of Software Bill Of Material (SBOM) shall be provided by the vendor. Vendor is also responsible for informing any identified vulnerabilities in the system to the organisation within reasonable time period.
- 3.6 Data collected and processed by the vendor should be protected appropriately (cannot be shared with any others without explicit consent / agreement) and made available to the procuring entity as and when required. External party personnel should comply with the information security policies, processes and procedures of the organisation.
- 3.7 Any external party found in violation to this policy shall be subjected to termination of contract and/ or will be handled as per applicable laws, rules & regulations.

4. Risk Assessment and security auditing requirements:

- 4.1 PERD must hold meetings with all stakeholders and heads of the department to chalk out the requirements for security audits such as the following:
- i. Scope of the audit
 - ii. Risk based asset classification
 - iii. Audit benchmarks, standards and compliance requirements
 - iv. Remediation plan on audit findings
 - v. Audit report format along with requirements of evidence and artifacts
 - vi. Follow-up audits
 - vii. Examine the effectiveness of the existing policy, standards, guidelines and procedures
- 4.2 Periodicity and nature of audits
- i. Internal information security audit to be performed at least once in a year.
 - ii. 3rd Party Security audits must be conducted periodically at least once a year to ensure compliance with security policy, guidelines, and procedures,

and to determine the minimum set of controls required to address PERD's security.

- iii. Security audit should be performed prior to and after implementation or installation or major enhancements in the PERD
- iv. Follow-up audits should be conducted to ensure compliance and closure of vulnerabilities

5. Change Management

- i. All changes to UIDAI Information Processing facilities/ Infrastructure/ processes shall be documented.
- ii. Only those changes related to Aadhaar which are approved by UIDAI for execution shall be implemented.
- iii. Change log/ register shall be maintained for all changes performed.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
सैनिक कल्याण निदेशालय
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

अधिसूचना
14 जुलाई 2025

सं० सै०क०नि०/०३/०७/२०२४/१४६५—मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2025 को आयोजित चयन समिति की अनुशंसा तथा बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2016 के प्रावधानों के आलोक में आरक्षणवार सेवानिवृत्त सैन्य पदाधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से नियुक्ति निदेशालय के अधिसूचना संख्या 870 दिनांक 22.04.2025 द्वारा किया गया था।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 5 में अंकित 20524 GpCapt Vishwajeet Kumar द्वारा योगदान देने में अनिच्छा व्यक्त करने के कारण इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए रिक्त हुए पद पर साक्षात्कार में प्राप्त अंक की वरीयता के अनुसार SC-00400M Col Sanjay Kumar को जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पद स्थापित किया जाता है तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार एवं सहरसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 312 दिनांक, 26.03.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतनादि का निर्धारण किया जायेगा एवं वेतन का भुगतान पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

4. योगदान के समय असैनिक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति का आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा।

6. नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

7. कर्नल कुमार अपना योगदान सैनिक कल्याण निदेशालय, मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015 में देंगे।

आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना
17 जुलाई 2025

सं० 1/स्था०(ले०से०)-17/2024/8039/वि०—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन स्तर-9 में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत

अनुमान्य भत्तों सहित) परीक्ष्यमान रूप से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए स्तंभ-5 में अंकित विभाग में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	रौल नं०	नाम/संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5
1	138892	श्री हिमांशु देव, 07	प० चम्पारण	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग
2	292210	श्री अमृतांशु भारद्वाज, 32	गया	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3	221474	श्री आनन्द गौतम, 33	भागलपुर	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग
4	150666	श्री रोहित राज, 44	पटना	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को 06 माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :-

क्र०	नाम	कोषागार से संबंधित कार्य का प्रशिक्षण (03 माह)	भविष्य निधि कार्य से संबंधित प्रशिक्षण (01 माह)	लेखा से संबंधित कार्य का प्रशिक्षण (02 माह)
1	श्री हिमांशु देव	सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
2	श्री अमृतांशु भारद्वाज	सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
3	श्री आनन्द गौतम	सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
4	श्री रोहित राज	सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना

3. नवनियुक्त पदाधिकारी अपने पदस्थापन विभाग में योगदान समर्पित कर विरमित होने की प्रतीक्षा किये बगैर प्रशिक्षण हेतु संबंधित कार्यालय में योगदान देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति अगले छः माह के लिए की जाती है। यह पूर्णतः औपबंधिक होगी।

5. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों से संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

6. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

7. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण-पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

8. नवनियुक्त पदाधिकारी योगदान के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।

9. सभी नवनियुक्त पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. नवनियुक्त पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय/विभाग में देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

28 जून 2025

सं० 3(स०)/उ०स्था०(उच्चतर प्रभार) 96/2024-2930—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उद्योग विभाग के फीडर कैंडर के विभिन्न पदों यथा परियोजना पदाधिकारी/अग्र परियोजना पदाधिकारी एवं समकक्ष, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, अर्थ अन्वेषक एवं पर्यवेक्षक/तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष (वेतन स्तर-7) से बिहार उद्योग सेवा के मूल कोटि के पद परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष (वेतन स्तर-9) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

फीडर कैंडर 'ख'- उद्योग विस्तार पदाधिकारी

क्र०	पदाधिकारी का नाम/कार्यालय	वर्तमान वेतन स्तर	कार्यकारी प्रभार का पद
1.	श्री दिलीप कुमार मंडल, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
2.	श्री कन्हैया लाल गुप्ता, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
3.	श्री रविशंकर उपाध्याय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
4.	श्री अरुण प्रकाश त्रिपाठी, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
5.	श्री नीरज कुमार गुप्ता, जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
6.	श्री राहुल, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
7.	श्री जितेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
8.	श्री राकेश कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
9.	श्री शिवाकर कंठ, जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
10.	श्री धनजी कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, पटना।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
11.	श्री राजू कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियां सम्प्रति प्रतिनियुक्त SIPB कोषांग, पटना।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
12.	श्री अरविन्द कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
13.	श्री मिथिलेश कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
14.	श्री राजीव रंजन, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
15.	श्री अनिल कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
16.	श्री विनोद कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियां।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
17.	श्री अमरेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष

फीडर कैंडर 'ग'- अर्थ अन्वेषक

18.	श्री राजन किशोर, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	वेतन स्तर-07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
-----	---	--------------	-----------------------------

फीडक केंद्र 'घ'— तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/तकनीकी सहायक एवं समकक्ष			
19.	श्री रामवृक्ष रविदास, तकनीकी पर्यवेक्षक, हस्तकरघा सुदृढ़ीकरण की योजना, गया।	वेतन स्तर—07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष
20.	मो० इशितयाक अहमद, तकनीकी पर्यवेक्षक, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), हस्तकरघा सघन विकास की योजना भागलपुर।	वेतन स्तर—07	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—19300 दिनांक 13.10.2023 की निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष (वेतन स्तर—09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से परियोजना प्रबंधक स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधाकृष्ण चौहान, अवर सचिव।

9 जुलाई 2025

सं० 3(स.)/उ.स्था.(आरोप)03/2023(खंड)—3077—श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यकारी प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को प्रभारी उप उद्योग निदेशक के पद पर उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधाकृष्ण चौहान, अवर सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2025

सं० 01/स्था०राज०—276/2023—1011—भारत संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “ गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा के (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016” (समय—समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ — (i) यह नियमावली “गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा के (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. “बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016” के नियम—10 का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम—10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

“10. प्रशिक्षण।— (क) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त बिहार ईख सेवा के पदाधिकारी को परिवीक्षावधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेश कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) प्रशिक्षण अवधि में बिहार ईख सेवा के ईख पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ग) प्रवेश कालीन प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित बिहार ईख सेवा के ईख पदाधिकारी के लिए एक वर्ष के प्रवेश कालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जाता है।

(i) प्रथम चरण:—बिहार ईख सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बिपार्ड द्वारा आयोजित 02 (दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme)। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ—साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी०सी०ए० रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली आदि) के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत—दर्शन का भी प्रावधान किया जा सकता है।

(ii) द्वितीय चरण:—बिहार ईख सेवा के लिए 03 (तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्रि विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु विभाग

एक नोडल पदाधिकारी नामित करेगा, जिससे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।

(iii) **तृतीय चरण :-** गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को 15 (पन्द्रह) दिनों का प्रशिक्षण SRI पूसा एवं IISR लखनऊ अथवा NSI कानपुर अथवा अन्य मानक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समन्वय स्थापित कर दिया जायेगा। 45 (पैंतालिस) दिनों का क्षेत्रीय कार्यालयों से, 30 (तीस) दिनों का मुख्यालय से संबद्धता एवं 90 (नब्बे) दिनों का स्वतंत्र प्रभार के साथ उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv) **चतुर्थ चरण :-** बिहार ईख सेवा के लिए बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में 01 (एक) माह का सांस्थिक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों अपने प्रकल्प (Project) पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देंगे तथा इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों यथा गन्ना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग इत्यादि में भी सम्बद्ध किया जायेगा, का प्रावधान किया जाता है।”

3. “बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016” के नियम 15 (क) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-15 (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

“**15 (क) परिवीक्षा अवधि—** आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त बिहार ईख सेवा के मौलिक पद (ईख पदाधिकारी) के रूप में सभी नियुक्तियाँ 01 (एक) वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।”

4. “बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016” के नियम 19 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-19 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

“**19. विभागीय परीक्षा के विषय।—** विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार द्वारा विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जायेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बी० कार्तिकेय धनजी, सचिव।

The 21st July 2025

No. 01/Estb.-Gaz.-276/2023-1011—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules in amend the “**Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016 of the Sugarcane Industry Department**”, as amended from time to time:

1. Short title, extent and commencement- (i) These rules shall be called the “Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2025 of the Sugarcane Industry Department”.

(ii) It shall extend to the whole State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette .

2. Substitution of Rule-10 of Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016.-Rule-10 of the said rules is substituted as follows.

10. Training - (a) The Officer of Bihar Sugarcane Service appointed in the service on the recommendation of the Commission will have to undergo induction training as prescribed by the Department during the probation period.

(b) During the training period, the Sugarcane Officer of Bihar Sugarcane Service will also have to pass such examination as prescribed by the Training Institute.

(c) The duration of induction training will be of one year. The one year induction training for the Sugarcane Officer of Bihar Sugarcane Service selected by the Commission is divided into the following stages.

(i) **First Phase:-** Institutional orientation programme of 02 (two) months organized by BIPARD for personality development of trainees of Bihar Sugarcane Service. In this, along with personality development of the trainees, training will be given in the context of general rules in force in the State Government (Conduct Rules, Bihar Service Code, CCA Rules, Travel Allowance Rules, Right to Information, Bihar Right to Public Services, Court Procedure, Legislation, Public/Service Grievance Redressal, Bihar Executive Rules, Terminal Benefits,

Bihar Pension Rules, Bihar Finance Rules, etc.). In this phase, provision of Bharat Darshan can also be made for the trainees.

(ii) **Second Phase:-** 03 (three) months' service specific training for Bihar Sugarcane Service, which will be organized by the concerned cadre controlling department in BIPARD or in the training institute determined by the department. For this purpose the department will nominate a nodal officer, with whom the module of training for this phase will be determined by BIPARD after establishing coordination.

(iii) **Third Phase:-** Sugarcane Industry Department will coordinate 15 (fifteen) days training of the trainees through SRI Pusa and IISR Lucknow or NSI Kanpur or other standard training institutes. They will be trained for 45 (forty five) days in regional offices, 30 (thirty) days in affiliation with headquarters and 90 (ninety) days in independent charge.

(iv) **Fourth Phase:-** For Bihar Sugarcane Service, 01 (one) month institutional training will be organized by BIPARD in BIPARD. In this phase, the trainees will give presentation on their project and in this phase, they will also be attached to various departments of the Secretariat for secretariat training such as Sugarcane Industry Department, Agriculture Department, Cooperative Department, Animal Husbandry and Fisheries Department etc., provision is made for this.

3. Substitution of Rule-15(a) of Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016.-Rule-15(a) of the said rules is substituted as follows.

Rule 15 (a) Period of probation - All appointments to substantive posts (Sugarcane Officer) of Bihar Sugarcane Service through direct recruitment on the basis of the Commission's recommendation shall be on probation for 01 (one) year. If the probation period is not satisfactory, it may be extended for 01 (one) more year. If the service is not satisfactory even during the extended period, the service may be terminated.

4. Substitution of Rule-19 of Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016.-Rule-19 of the said rules is substituted as follows.

19. Subjects of departmental examination - The subjects, syllabus and procedure of departmental examination will be decided by the Central Examination Committee, Revenue Board in consultation with the department and with the consent of the General Administration Department.

All other provisions of the above rules will remain as prescribed.

By Order of the Governor of Bihar,
B. Kartikey Dhanji, Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 18—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 677--I, Sangita Kumari w/o Binay Kumar Saumitra R/o Upar Jantikri Road Sahebganj Manoharpur, Bhagalpur, Bihar-812004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-12443 dt. 01.02.25 that my name is written in my son Aditya Raaz's class 12th all educational documents as Sangita Devi which is wrong. As per Aadhar card my true/correct name is Sangita Kumari. Sangita Kumari and Sangita Devi both are same and one person. From now I will be know as Sangita Kumari for all purposes.

Sangita Kumari.

No. 683--I, SAURABH Kumar S/o Ram Chandra Prasad R/o Kadam Ganch Gali, Jora Mandir New Area, Dehri-on-son, Dalmianagar, Rohtas declare vide affidavit no. 2420 dated 08.02.25 that my son Abhigyan Prakash Pal will be known as Abhigyan Prakash.

SAURABH Kumar.

No. 684--I, NAMRATA, (नम्रता) Daughter of Bijay Kumar, resident of B/31 R.D. Tower, Near Punaichak, L.B.S. Nagar, Patna, Bihar 800023, do hereby solemnly affirm and state as follows as per Affidavit No 1634 Dated 21/06/2025 that I want to add surname to "SINGH" that my name has been recorded as NAMRATA in my all educational certificates and Aadhar card pan card that from now I will be know as NAMRATA SINGH (नम्रता सिंह) for All future purpose.

NAMRATA, (नम्रता) ।

No. 685--I, Syed Md. Qadir, S/o Late Abdul Rauf, R/o Dr. Shahjadoo House, Harnaha Tola, Patna City, Patna, Bihar-800008 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2855dt. 26.06.2025 that my name is written in my Aadhar and Pan Card as Syed Md. Qadir whereas in Residemtial Certificate my name is written as Syed Mohammad Qadir. Both names are same and one person. From now I will be known as Syed Md. Qadir for all purposes.

Syed Md. Qadir.

No. 686--I, PANKAJ Kumar S/o Mohan Prasad R/o Lodipur PO- Chandmari PS- Shahpur Dist:-patna-801503 Vide Afd No 15239 Dt.-16.06.25 Shall be known as Pankaj Singhanian for all future purposes.

PANKAJ Kumar.

No. 688--I, Amarendra Kumar S/o Sri Tarkeshwar Prasad Verma, District and Additional sessions Judge Jamui R/o Rajiv Nagar, Bela Rohua Road, P.O.-R.K. Mission Bela, Muzaffarpur do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 6309 dt. 12.06.25 that from now I will be known as Amarendra Shrivastav for all purposes.

Amarendra Kumar.

No. 689--I UMAR Ali s/o Taj Mohammad, At-Mohalla- Mukarri Kurwan Road, Chandwara, P.S.-Town, Dist-Muzaffarpur, Bihar 842001 declare vide affidavit no. 02/11 dated 05.05.2025 that Shadma Zarrie is my daughter, that in her 10th all educational documents my name mentioned as Mohammad Umar. That Umar Ali and Mohammad Umar are the names of same person. That instead of Mohammad Umar I shall be known as Umar Ali for all purposes.

UMAR Ali.

No. 690--I, RUBI KUMARI, W/o.-Jitendar Kumar Verma, Vill+Post-Pachna Nagar Parishad Ward No. 16 District-Sheikhpura Pin no.-811107 Bihar do solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 1649, dated-06.06.2025 that my name is written in my 10th matriculation B.S.E.B. educational documents as RUBI KUMARI. But mentioned in my name Aadhar card and Pan Card Voter Id as RUBI DEVI. RUBI KUMARI and RUBI DEVI both are same and one person. That From now I shall be known as RUBI KUMARI for all purposes.

RUBI KUMARI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 18—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—15/2022—5189

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

15 जुलाई 2025

श्री विपिन कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी के मंडल कारा, खगड़िया में पदस्थापन के दौरान मंडल कारा, खगड़िया में संसीमित सजावार बंदी रणवीर यादव, पे0—हरिबल्लभ यादव के एम्स, नई दिल्ली में लम्बे समय से इलाजरत् रहने तथा इलाज के नाम पर उक्त बंदी के दिल्ली स्थित आवास पर रहने की घटना में कर्तव्य के प्रति बरती गई गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—7492 दिनांक—08.07.2022 द्वारा श्री विपिन कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी—सह—आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक—3729 दिनांक—26.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 06 आरोपों में से आरोप संख्या—01 को अप्रमाणित तथा शेष आरोप संख्या—02, 03, 04, 05 एवं 06 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक—5768 दिनांक—06.07.2023 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री विपिन कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। तद्आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक—3057 दिनांक—28.08.2023 के माध्यम से अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

4. श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी के द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम—14(vii) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—2165 दिनांक—19.03.2025 द्वारा उनके विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया है :—

“ वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो (02) वेतनवृद्धि घटाकर संचयी प्रभाव से वेतन की अवनति का दण्ड”।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक—2165 दिनांक—19.03.2025 द्वारा अधिरोपित उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी) द्वारा पत्रांक—1931 दिनांक—04.05.2025 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि संचालन पदाधिकारी ने उनके बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपना निष्कर्ष अधिरोपित किया है। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक—3800 दिनांक—15.12.2021, जिसमें त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक, खगड़िया एवं मंडल कारा, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें मात्र उनसे कारण पृच्छा पूछे जाने के निर्णय की अनुशंसा है। विभाग के स्तर पर त्रिसदस्यीय जाँच समिति गठित की गयी है एवं जाँच समिति ने डॉ० प्रशांत सिन्हा, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, गृह विभाग (कारा) के सात निष्कर्षों को कंडिका—7 में समाहित करने तथा कंडिका—8 में वर्णित 8 बिन्दुओं पर विस्तृत जाँच करने की बात कही गई है, लेकिन इस जाँच का फलाफल आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं है। उनके द्वारा विभाग से वांछित अभिलेखों की मांग की गई थी, परन्तु उन्हें वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया

तथा विभागीय ज्ञापक-5348 दिनांक-12.05.2022 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उन्हें कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्थापित है कि इस मामले में प्रारम्भ से ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में कोई गवाही नहीं हुई है, मात्र प्रतिवेदन के आधार पर बिना विभागीय कार्यवाही चलाये प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पक्ष को घुमा-फिरा कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य मामले की जाँच करना नहीं अपितु विभाग के तीन सदस्यीय समिति के आधारहीन निष्कर्षों तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, जिला पदाधिकारी, खगड़िया के विफलताओं को रखते हुए उनपर लांछनों को प्रमाणित करना था। इस मामले में उन्हें प्राथमिक जाँच के तीनों सदस्यों यथा-श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अधीक्षक, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ, डॉ० प्रशांत सिन्हा, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, गृह विभाग (कारा) तथा श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि बिहार कारा हस्तक, 2012 का नियम-224 के अनुपालन का मुख्य उत्तरदायित्व उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) का है। उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) द्वारा कोई प्रतिवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले में उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) द्वारा कभी प्रतिवेदित नहीं किया गया कि बंदी रणवीर यादव जो एम्स में बिना भर्ती हुए इलाज करवा रहा है, के बारे में क्या किया जाना चाहिए। इस मामले में बंदी रणवीर यादव के दिनांक-19.04.2019 से 20.09.2021 तक एम्स, नई दिल्ली में इलाज कराने के मामले में कोई प्रतिवेदन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-224 तथा गृह विभाग विशेष शाखा, बिहार पटना के पत्रांक-624 दिनांक-18.07.2001 की कंडिका 10, 11, एवं 12 के अनुपालन की दिशा में उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संचालन पदाधिकारी ने आश्चर्यजनक रूप से इन महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-225 (i) में जिला पुलिस के द्वारा बाहर के अस्पताल में स्थानान्तरित बंदी की सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में प्रावधानित है कि ऐसे बंदियों को बाहर के अस्पताल में ले जाने के लिए और वहाँ उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए और फिर वहाँ से वापस लाने के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस गार्ड उपलब्ध करायेंगे। जिला अस्पताल में उनके इलाज के दौरान बंदी के सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होगी। पुलिस अधीक्षक बंदी कक्ष और वहाँ भर्ती बंदी की सुरक्षा जाँच करने के लिए नियमित निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे, जबकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा कभी भी बंदी रणवीर यादव के सुरक्षा जाँच से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा भेजे गये सुरक्षा दल की यह जबाबदेही थी कि बंदी को नजदीक के कारा में रखा जाय और इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक, खगड़िया का था न कि उनका।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि तीन सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड में अन्य बीमारियों के साथ Active Fungle infection around the anus का जिक्र करते हुए Department of surgery, AllMS, New Delhi में इलाज कराने की अनुशंसा की गई है, किन्तु बंदी द्वारा प्रदत्त अभिलेखों में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में कोई भी इलाज कराने का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस जाँच प्रतिवेदन एवं इस निष्कर्ष के मुख्य स्रोत डॉ० प्रशांत सिन्हा हैं, उन्होंने अपना मतव्य गठित करते हुए यह ध्यान नहीं दिया कि Department of Urology डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, मूत्र से संबंधित रोगों के लिए Medicine and Surgery दोनों प्रकार की चिकित्सा करता है। इस प्रकार यह कहना कि शल्य चिकित्सा विभाग में इसका इलाज नहीं हुआ और तब जबकि Medical Board ने इसकी अनुशंसा की थी, सर्वथा आधारहीन, काल्पनिक निष्कर्ष है। वस्तुतः बंदी रणवीर यादव का इलाज दिनांक-28.04.2019, 28.02.2020, 29.02.2020, 08.01.2021, 18.01.2021, 23.08.2021 एवं 06.09.2021 को उसके इलाज की तारीख दी गई। इस प्रकार यह निष्कर्ष आधारहीन, मनगढ़ंत एवं दुर्भावनापूर्ण है।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया के आदेश संख्या-16 दिनांक-16.04.2019 द्वारा बंदी रणवीर यादव के साथ दिनांक-27.04.2019 को एम्स, नई दिल्ली जाने का निदेश श्री लालबाबु कुमार, उच्च कक्षपाल को देते हुए हिदायत दी गई थी कि बंदी के साथ इलाज होने तक बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियमों के मुताबिक आप कार्य एवं समन्वय रखेंगे, जिसके अवलोकन से यह भी स्थापित होगा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर उन्हें अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया से सम्पर्क करने का निदेश था। पुनः श्री लालबाबु कुमार, उच्च कक्षपाल को मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-1272 दिनांक-28.05.2020 द्वारा निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से निदेशक, एम्स, नई दिल्ली से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर बंदी के आवासन के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ताकि विभाग को जानकारी दी जा सके। इसी प्रकार अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-478 दिनांक-27.02.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को यह प्रतिवेदित किया गया कि "संसीमित बंदी को अस्पताल से बाहर रखकर इलाज नहीं कराया जाना है। अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त गार्ड प्रभारी को मंडल कारा, खगड़िया वापस लाने हेतु सख्त निदेश देने की कृपा की जाय।" इस पत्र की प्रति श्री लालबाबु कुमार, उच्च कक्षपाल तथा गार्ड प्रभारी प्रतिनियुक्त मार्गरक्षी दल, एम्स नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया था। श्री लालबाबु कुमार के वापस लौटने के उपरांत श्री जयकिशोर सिंह, प्रतिनियुक्त कक्षपाल, एम्स, नई दिल्ली को मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-449 दिनांक-27.01.2021 द्वारा बंदी रणवीर यादव के उपचार का विवरण कारा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। इस क्रम में मंडल कारा, खगड़िया का पत्रांक-1281 दिनांक-22.03.2021, पत्रांक-1461 दिनांक-09.04.2021 एवं पत्रांक-2861 दिनांक-29.07.2021 द्वारा भी प्रतिनियुक्त कक्षपाल, नई दिल्ली को बंदी के इलाज की स्थिति से

संबंधित जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है। श्री कुमार का कहना है कि दंडादेश में वर्णित यह निष्कर्ष भी वास्तविकता से परे है तथा किसी भी तरह से उनके विरुद्ध प्रमाणित नहीं है।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक-26.02.2020 को उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बंदी रणवीर यादव को मंडल कारा, खगड़िया लाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-478 दिनांक-27.02.2020 द्वारा दिनांक-27.02.2020 को उनसे अनुरोध किया कि “ बंदी रणवीर यादव का इलाज ओपीडी में हो रहा है जबकि उसका इलाज अस्पताल से बाहर रहकर नहीं कराया जाना है। अतः प्रतिनियुक्त गार्ड प्रभारी को मंडल कारा, खगड़िया वापस लाने हेतु सख्त निदेश दिया जाय ताकि रणवीर यादव को वापस मंडल कारा, खगड़िया में संसीमित किया जा सके। ” इस पत्र की प्रतिलिपि गार्ड प्रभारी प्रतिनियुक्त मार्गरक्षी बल, एम्स, नई दिल्ली तथा श्री लालबाबु कुमार को दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए कहा गया कि पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बंदी रणवीर यादव को मंडल कारा, खगड़िया लाने हेतु कहा गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया ने अपने पत्रांक-402 दिनांक-07.03.2020 द्वारा बंदी रणवीर यादव को एम्स, नई दिल्ली से वापस मंडल कारा, खगड़िया लाने के संबंध में जिला स्तर से आवश्यक निदेश देने हेतु अनुरोध किया था। तदोपरांत दिनांक-18.03.2020 को जिला पदाधिकारी, खगड़िया को संचिका के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि “ बंदी का इलाज विभिन्न विभागों में अलग-अलग तिथियों में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अर्न्तवासी रोगी नहीं है। एम्स, नई दिल्ली से प्राप्त इलाज प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ से बंदी के इलाज के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। ” इसका फल यह हुआ कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-638 दिनांक-18.03.2020 द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य प्रमुख से अनुरोध किया गया कि “ वर्तमान में सजावार बंदी रणवीर यादव के आगे के इलाज हेतु दिल्ली में बना रहना आवश्यक है अथवा नहीं ताकि इसे वापस लाने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। ” इस पत्र के निर्गत होने के तुरंत बाद उन्होंने महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को जिला पदाधिकारी के पत्रांक-638 दिनांक-18.03.2020 की छायाप्रति उपलब्ध करायी।

इसी क्रम में उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-638/कारा, दिनांक-18.03.2020 के हवाले से निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को स्मारित किया गया कि बंदी रणवीर यादव को आगे के इलाज हेतु एम्स दिल्ली में रखना आवश्यक है या नहीं से संबंधित परामर्श दिया गया। इस तत्परता का फल यह हुआ कि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के स्तर से ही यह अनुरोध किया गया कि बंदी रणवीर यादव की चिकित्सा के संबंध में जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा मांगे गये परामर्श के संबंध में की गयी कार्रवाई से उन्हें अवगत करायी जाय। इस पत्र संख्या-3020 दिनांक-15.05.2020 की छायाप्रति उन्हें एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को भी भेजी गयी, साथ ही महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-3019 दिनांक-15.05.2020 द्वारा निदेशक, एम्स, नई दिल्ली को यह लिखा गया कि यदि बंदी का इलाज पूर्ण हो चुका हो तो उसे अविलंब मंडल कारा, खगड़िया में वापस करने की कार्रवाई की जाय। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखते हुए मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-1233 दिनांक-24.05.2020 द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के आगे के इलाज हेतु एम्स, नई दिल्ली में बने रहना आवश्यक है या नहीं से संबंधित परामर्श दिया गया। इस पत्र की छायाप्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, जिला पदाधिकारी, खगड़िया तथा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भी दी गई। पुनः मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-1630 दिनांक-22.06.20 द्वारा रणवीर यादव के इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली में रखा गया या नहीं के मामले में मंतव्य देने हेतु पुनः स्मारित किया गया। इस पत्र की प्रतिलिपि भी जिला पदाधिकारी, खगड़िया तथा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भेजी गयी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक- 09.06.2020 को राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रतिवेदन का जाँच कर यह संयुक्त प्रतिवेदन दिया गया कि आगे और सुधार के लिए बंदी को एम्स, नई दिल्ली में ही इलाजरत् रखा जाय। इस निर्णय से पहले महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-2995 दिनांक-14.05.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया को मंडल कारा, खगड़िया के पत्रांक-349 दिनांक-12.02.2020 द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के क्रम में यह निदेश दिया गया कि बंदी रणवीर यादव को एम्स, नई दिल्ली से मंडल कारा, खगड़िया में वापस लाने हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दिनांक-20.09.2021 तक यदि रणवीर यादव नई दिल्ली में रहा है तो यह मामला उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है, अपितु महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना, जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के कार्यक्षेत्र का है।

श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त मामले में उनके स्तर से कोई कर्तव्यहीनता या लापरवाही नहीं बरती गई है, जबकि उन्हें वृहद दंड दिया गया है। उनके द्वारा अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से इसलिए नहीं रख पाया गया क्योंकि उन्हें न तो बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये न ही उन्हें प्राथमिक जाँच वाले तीनों सदस्यों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया, न ही आरोप पत्र में वर्णित दोनों साक्षियों की गवाही ली गई और स्वभाविक रूप से इनके प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार इस मामले में विभागीय जाँच नहीं हुई है, अपितु उन्हें दोषी पहले ही मान लिया गया तथा बाद में इसकी खानापूरी के लिए मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार किये गये हैं। यदि दिनांक-14.05.2020 के महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा कराया गया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। फिर डॉ० प्रशांत सिन्हा द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है तथा जिससे यह भ्रम उत्पन्न हुआ है, वह निहायत दुर्भावनापूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित, काल्पनिक, मनगढ़ंत है। एक चिकित्सक के रूप में बिना मामले की सम्यक् जाँच किये इस तरह का निष्कर्ष निकालना और उस पर अन्य दो सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना इस भ्रम का आधार बना है। यह स्थिति सर्वथा विचारणीय है। श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति

अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अधिरोपित आरोपों व दण्ड से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि उनके विरुद्ध गठित आरोपों के आलोक में बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु उनके द्वारा विभाग से वांछित अभिलेखों की मांग की गई थी, परन्तु उन्हें वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(4) के तहत विभागीय पत्रांक-4618 दिनांक-20.04.2022 द्वारा सभी वांछित कागजात उन्हें पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) द्वारा बंदी रणवीर यादव के दिनांक-19.04.2019 से 20.09.2021 तक एम्स, नई दिल्ली में इलाज कराने के मामले में कोई प्रतिवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि बंदी रणवीर यादव, जो एम्स में बिना भर्ती हुए इलाज करवा रहा है, के बारे में क्या किया जाना चाहिए। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-224 के अनुपालन का मुख्य उत्तरदायित्व उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) का है। श्री कुमार का यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि काराधीक्षक के रूप में अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों पर सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण रखने का दायित्व उनका था।

बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-224 में वर्णित है कि "यदि राज्य से बाहर बंदी के इलाज के लिए विनिर्दिष्ट अस्पताल की राय में उस बंदी को विनिर्दिष्ट अस्पताल में अन्तः रोगी इलाज पाने की आवश्यकता नहीं है तो उस बंदी को कारा में वापस भेज दिया जाएगा।" इस प्रकार बंदी रणवीर यादव को एम्स के ओपीडी में दिखाने के बाद बिहार कारा हस्तक के उपरोक्त प्रावधान के आलोक में बंदी को वापस कारा में लाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। बंदी के इलाजोपरांत वापस कारा में लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, किन्तु श्री विपिन कुमार द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप बंदी रणवीर यादव लम्बे समय तक इलाज के क्रम में एम्स के बाहर नई दिल्ली में ही रहा।

श्री विपिन कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि बंदी को इलाज हेतु बाहर के अस्पताल ले जाने, वहाँ उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने और फिर वहाँ से वापस लाने के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस गार्ड उपलब्ध करायेंगे। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा कभी भी बंदी रणवीर यादव के सुरक्षा जाँच से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा भेजे गये सुरक्षा दल की जवाबदेही थी कि बंदी को नजदीक के कारा में रखा जाय और इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक, खगड़िया का था न कि उनका। श्री कुमार का कहना है कि कारा के बाहर बंदी को सुरक्षित संसीमन में इलाज कराने हेतु संबंधित संस्थान ले जाने की पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेवारी सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त मार्गरक्षी बलों की होती है, जिस पर कारा का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कारा के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होने के नाते श्री कुमार का यह दायित्व था कि बंदी का इलाज मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में कराया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में बंदी के साथ प्रतिनियुक्त कक्षपाल से निरंतर सम्पर्क स्थापित करते हुए उक्त बंदी का हो रहे इलाज से संबंधित चिकित्सा पूर्जा तथा उसके आवासन की सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, किन्तु श्री कुमार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

बंदी रणवीर यादव के साथ प्रतिनियुक्त उच्च कक्षपाल पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, के संबंध में श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि प्राथमिक रूप से यह जवाबदेही उपाधीक्षक, (प्रशासन एवं सुरक्षा) तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया की थी। बंदी रणवीर यादव के साथ श्री लालबाबु कुमार, उच्च कक्षपाल को एम्स, नई दिल्ली जाने का निदेश देते हुए कहा गया कि व्यक्तिगत रूप से निदेशक, एम्स, नई दिल्ली से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय, ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर बंदी के आवासन के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ताकि विभाग को जानकारी दी जा सके। श्री लालबाबु कुमार के वापस लौटने के उपरांत श्री जयकिशोर सिंह प्रतिनियुक्त कक्षपाल, एम्स, नई दिल्ली को बंदी रणवीर यादव के उपचार का विवरण कारा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। जबकि कारा के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होने के नाते श्री विपिन कुमार का यह पदीय दायित्व था कि बंदी रणवीर यादव के साथ प्रतिनियुक्त उच्च कक्षपाल पर कड़ी निगरानी रखते तथा बंदी के इलाज के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहते, किन्तु श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा नई दिल्ली जाकर जाँच किये जाने पर यह दृष्टिगत हुआ कि बंदी इलाज के नाम पर एम्स में भर्ती न होकर दिल्ली स्थित आवास में पाया गया।

विभागीय कार्यवाही के जाँच में यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा बंदी रणवीर यादव को इलाज हेतु एम्स, नई दिल्ली भेजे जाने में तत्परता दिखायी गई। चूँकि मामला बंदी के इलाज से संबंधित था, इसलिए श्री कुमार को बंदी रणवीर यादव के एम्स, नई दिल्ली के ओपीडी में चल रहे इलाज की जानकारी प्राप्त कर उन्हें तुरंत ही बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-224 के प्रावधान एवं गृह विभाग (विशेष शाखा). बिहार, पटना के पत्रांक-624. दिनांक 18.07.2001 की कड़िका-10, 11 एवं 12 के आलोक में उक्त बंदी के साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी एवं सहयोग में प्रतिनियुक्त कारा के उच्च कक्षपाल को वापस मंडल कारा, खगड़िया में वापस लाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, परन्तु श्री कुमार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार उक्त मामले में कारा के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः विफल रहे हैं।

कारा के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होने के नाते श्री विपिन कुमार का यह दायित्व था कि बंदी का इलाज मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में कराया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में बंदी के साथ प्रतिनियुक्त कक्षपाल से निरंतर सम्पर्क स्थापित करते हुए उक्त बंदी के हो रहे इलाज से संबंधित चिकित्सा पूर्जा तथा उसके आवासन

की सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। तदालोक में श्री कुमार द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जाना था। विभागीय कार्यवाही की जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रतिनियुक्त कक्षपाल द्वारा श्री कुमार को इस संबंध में पूर्ण जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद श्री कुमार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कारा से बंदी का प्रभार सुरक्षा बल को दिए जाने के बाद चिकित्सा कराने का दायित्व प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी एवं प्रतिनियुक्त उच्च कक्षपाल की थी। Department of Surgery से भिन्न किसी विभाग में इलाज कराए जाने की स्थिति में इसकी सूचना प्रतिनियुक्त उच्च कक्षपाल द्वारा उन्हें दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। अतएव इससे स्पष्ट है कि श्री विपिन कुमार का अपने अधीनस्थ कर्मियों के कर्तव्यों पर सम्यक् नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का घोर अभाव था।

श्री विपिन कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि उक्त मामले में उनके स्तर से कोई कर्तव्यहीनता या लापरवाही नहीं बरती गई है, श्री कुमार का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। श्री कुमार द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में कोई तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उनके द्वारा इस पूरे आरोप प्रकरण के लिए प्रतिनियुक्त कक्षपाल एवं उपाधीक्षक को ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार ठहराया गया है, जो उनका आरोपों से बचने का प्रयास मात्र है। विभागीय त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा नई दिल्ली जाकर जाँच किये जाने पर यह दृष्टिगत हुआ कि बंदी इलाज के नाम पर एम्स में भर्ती न होकर दिल्ली स्थित आवास में पाया गया। इस प्रकार उक्त मामले में प्रतिनियुक्त उच्च कक्षपाल के साथ-साथ श्री कुमार भी दोषी हैं। श्री कुमार द्वारा विभाग को इस तथ्य से अवगत ही नहीं कराया गया कि बंदी के इलाज हेतु गठित राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा Orthopaedic and Neuro Surgery की अनुशंसा के आलोक में इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि ओपी०डी० में अन्य बीमारी का इलाज कराया जा रहा है। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा इन तथ्यों को छुपाया गया। विभागीय त्रिसदस्यीय समिति द्वारा बंदी के नई दिल्ली में लम्बे समय से इलाजरत् रहने के संबंध में जाँच के क्रम में पाया गया कि बंदी का इलाज एम्स, नई दिल्ली के ओपी०डी० से लगातार कराया जाता रहा है तथा बंदी रणवीर यादव का आवासन उनके आवास संख्या—C/385, गेस्ट हॉउस, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली स्थानीय आवास पर ही रहा है। इस प्रकार उक्त मामले में श्री कुमार की संलिप्तता भी परिलक्षित होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मंडल कारा, खगड़िया के सजावार बंदी रणवीर यादव, पे०—हरिबल्लभ यादव के एम्स, नई दिल्ली में काफी दिनों से इलाजरत् रहने तथा इलाज के नाम पर उक्त बंदी के दिल्ली स्थित आवास पर रहने की घटना में श्री विपिन कुमार द्वारा गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरती गई है। श्री कुमार द्वारा बंदी रणवीर यादव को जिस तत्परता के साथ एम्स, नई दिल्ली भेजे जाने हेतु कार्रवाई की गई, वैसी तत्परता उक्त बंदी के इलाज के उपरांत वापस कारा में लाये जाने हेतु नहीं दिखाई गई है। श्री कुमार द्वारा कर्तव्य के प्रति जान-बूझकर निष्क्रियता अपनाकर बंदी रणवीर यादव को दिल्ली में लम्बे समय तक अस्पताल से बाहर रहने में अनुचित लाभ पहुँचाने का कृत्य किया गया है, जो बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम—224, 796 (i) (ii) एवं तथा गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के पत्रांक—624 दिनांक—18.07.2001 की कंडिका—10, 11 एवं 12 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को “वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो (02) वेतनवृद्धि घटाकर संचयी प्रभाव से वेतन की अवनति का दण्ड” अधिरोपित किया गया है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री विपिन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, मसौढ़ी के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः उनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 18—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>